



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 2003 / ज्येष्ठ 10, 1925

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 2003 / JYAISTA 10, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 2003

सा.का.नि. 218.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 73 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार मुद्रणालय (समूह 'ग' तथा समूह 'घ' औद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1993, भारत सरकार मुद्रणालय एवं शाखा समूह 'ग' इलेक्ट्रॉनिक डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर भर्ती नियम, 1996 तथा भारत सरकार मुद्रणालय, मिटो रोड और रिंग रोड, नई दिल्ली सहायक निरीक्षक (नियंत्रण) सहायक निरीक्षक (नियंत्रण) (गणन) भर्ती नियम 1979 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय में भारत सरकार मुद्रणालयों या उनकी शाखाओं में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' औद्योगिक पदों पर भर्ती की पढ़ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार मुद्रणालय समूह 'ग' एवं समूह 'घ' (औद्योगिक पद) भर्ती नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(1299)

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अहतायें आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहतायें और उनसे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु जहाँ मुद्रण निदेशक संतुष्ट हो उन कारणों को लेखबद्ध करके वह आदेश द्वारा, किसी कर्मचारी को लोकहित में या ऐसे कर्मचारी की प्रार्थना पर अनुकम्पा के आधार पर मुद्रणालय के अधिशेष कर्मचारी के पुनः परिनियोजन के लिए उनके नियंत्रणाधीन एक मुद्रणालय से अन्य किसी मुद्रणालय में निम्नलिखित दशा के अध्यधीन स्थानान्तरित कर सकते हैं; अर्थात् :—

(क) जहाँ स्थानान्तरण का आदेश लोक हित में किया जाता है, और जिससे सम्बद्ध कर्मचारी के सेवा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) जहाँ सम्बंधित कर्मचारी की अनुकम्पा के आधार पर कोई गई प्रार्थना पर स्थानान्तरण किया गया है वहाँ सम्बंधित व्यैष्टिकों तथा उसके अपने मूल एककों में कोई गई सेवा का लाभ ज्येष्ठता के प्रयोजन हेतु उस एकक में नहीं मिलेगा जिसमें उसका स्थानान्तरण किया जाता है, और

(ग) जहाँ किसी अधिशिष्ट व्यक्ति को पुनः नियोजित किया गया है, जहाँ उसका आमेलन किया जाता है ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए उस एकक में नई भर्ती किया गया समझा जायेगा।

5. निरहता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट होती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षों के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्र. सं.	पट का नाम	पटों की संख्या	चार्गकरण	वरनमान	वरन पद अथवा सेवा में जोड़े गये वर्षों	सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए अनुसूची
				कल्पन पद सिविल सेवा (फैसल)	का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (फैसल)	आयु सीमा अनुसूचीमें अनुसूचित है या नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	फोरमेन	कासह (12) (कार्बनार के आधार पर पार्टिनेन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृद्ध 'ग' (पर्वतीय), आधारपत्र, आनुसूचित चार्ग की दशा में घाँट वर्ष और शिथल की जा सकती है।	5000-150-8000 रुपये।	अध्ययन। लागू नहीं होता।	अस्त्राहन से सारांश वर्ष के बीच (सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को उच्च आयु सीमा शिथल कारके चैतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित चार्गों और अनुसूचित चार्गों की दशा में घाँट वर्ष और शिथल की जा सकती है।)	(i) किसी विभागीय विभागीय विभागीय फूण प्रौद्योगिकी में दिल्ली साथ ही किसी ऊर्जा प्रबल पुरुषसंघ या संस्था में कार्ब करने का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियाचक तारीख भारत में अध्यार्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अधिकम तारीख जो असम, ये जातय, अरणांखल प्रदेश, भिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिंधिकाम, चम्पू करमानी राज्य के लहानख खण्ड, विमानखल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लाख्यहिप के अध्यार्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कोई जाने वाली भर्तीनियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए नियाचक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू रहे हैं।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए।	(i) आमेलन द्वारा, (ii) भारत सरकार के अन्य सुदृढ़ताओं से अधिकारियों के स्थानान्तरण दो वर्ष।	आमेलन द्वारा:- फोरमेन (लाइन), फोरमेन (मालो), फोरमेन (केस रूप), फोरमेन (मशीन), फोरमेन (योजना) की श्रेणी में नियमित सेवा में हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रौद्योगिकी समिति जिसमें प्रिन्सिपियल बोर्ड होता है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संबंधित सेवा आवश्यक होता है।
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे शोरी या प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, शेषियां जिसे प्रौद्योगिकी/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।	प्रौद्योगिकी/स्थानान्तरण तथा विभिन्न प्रदूषितों द्वारा भर्ती जाने वाली रिकियरों की प्रतिशतता	(i) आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे शोरी या प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में, शेषियां जिसे प्रौद्योगिकी/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।	प्रौद्योगिकी/स्थानान्तरण तथा विभिन्न प्रदूषितों द्वारा भर्ती जाने वाली रिकियरों की प्रतिशतता	1. भारत सरकार मुद्रणालय के प्रबन्धक/प्रबन्धक 2. उपप्रबन्धक/कायांलय का भारायाधक — सदस्य 3. सदस्यक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का आनकड़ा किसी विभाग का ऐसा वायर सदस्य जिसकी उपलब्धता का मूल्यांकन अनुसूचित जारी हो और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संबंधित सेवा आवश्यक होता है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. कोरमैन (जिल्हदसाजी)।	संवीकास (37) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृद्ध 'ग' (पर्यावरणीय), अराजपत्रित, आनुसुन्धानीय।	5000-150-3000 लकड़ी।	अवधारन।	लागू नहीं होता।	अस्त्रवाहन से सामाइस वर्ष के बीच (सोधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए विधायिक असंघीयों को उच्च आय सीमा शिथिल कर के पैतोस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल को जा सकती है।)	(i) किसी भावन्यताप्राप्ति विवरविधायलय या संसदा से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा साथ ही किसी खाति प्राप्त मुद्रणलय या संसदा में कार्य करने का तोनबंध का अनुभव।

टिप्पणी:- आयु, सीमा अवधारित करने के लिए निणायक तारीख भारत में अधिकियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अनियम तारीख होगी। (न कि वह अनियम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मृति जिले तथा चम्मा जिले का पांच उपक्षण, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लद्दाखीय के अधिकियों के लिए विवित को गई है)। सेवाग्राह कार्यालयों के मान्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निणायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नम फैजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सोधे भर्ती किए गए प्रेन्टि द्वारा जिसके न हो सकने व्यक्ति के लिए दो चर्च।	प्रो-नियमित:- 4500-125-7000 रुपये के केन्द्रमान में ऐसा सेक्षन होत्तड़ (जिल्हासाजी) याइम चैकर (जिल्हासाजी) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा सेक्षन होत्तड़ (जिल्हासाजी)/याइम चैकर (जिल्हासाजी) जिसने उस श्रेणी और जिल्हासाजी को श्रेणी में आठवीं नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रो-नियमित समिति जिसमें नियमित होनी: 1. "भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) 4. मुद्रणालय के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य विस्तीर्ण उपचुनता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ज्ञान में रखते हुए किया जाना है।	समूह 'ग' विभागीय प्रो-नियमित समिति जिसमें नियमित होता।	

प्रतिनियुक्ति:-
केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:
(क) जो सदृश पद अर्थात् 5000-150-8000 रुपये के वेतनमान में फोरमेन (जिल्हासाजी) का पद नियमित आधार पर ध्वाण किए हुए हो; या
(ख) 4500-125-7000 रुपये के केन्द्रमान में ऐसा सेक्षन होत्तड़ (जिल्हासाजी)/ याइम चैकर (जिल्हासाजी) विस्तै उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, विस्तै अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संस्थान/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले घासित किसी अन्य काड़ पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साथारंतर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. सेवकन होल्डर/ (जिल्हदसाजी) दाम चैकर (जिल्हदसाजी)।	आवंडे (92) (कर्मचार के आशार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साथारण केन्द्रीय सेच, समूह 'ग' (पर्यावरणीय), अराजपत्रिक, अननुसचिवीय।	4500-125-7000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	(i) किसी मानवताप्राप्त विश्वविद्यालय (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी को उच्च आठ साला शिखित कर के भैतिसवर्ष तक की जा सकती है। अनुशृत जातियों और अनुरचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिखित की जा सकती है। (ii) किसी मानवताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकों में डिस्ट्रीब्युटरों माध्यम से उच्च विलोमा साथही मुद्रण और विलोमी के कार्य करने वाले किसी छातिप्राप्त मुद्रणालय या संस्था में जिल्हदसाजी कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव हो।	अद्वारण से सतार्हि वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी को उच्च आठ साला शिखित कर के भैतिसवर्ष तक की जा सकती है। अनुशृत जातियों और अनुरचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिखित की जा सकती है। विषय:- आठ सीधा अवधारित करने के लिए निम्नांक तारीख भारत में अधिकारी से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अनिम तारीख जो असम, मेघालय, अरणांखल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुणी, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लाहौल और स्मीति खाण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मीति जिले तथा चम्बा जिले का पांची उत्तराखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लद्दाखिंप के अधिकारी के लिए चिह्नित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आठ सीधा अवधारित के लिए नियायिक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नम भेजने के लिए कारब गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	संघे भर्ती किए गए व्याकुलकर्त्ता लिए दी जिसके न हो सकने पर गोपन्ति द्वारा जिसके न हो सकने के बावजूद इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन:- सेक्षण बोर्ड (केस), टाइम चैकर (केस), सेक्षण होल्डर (मोनो काटर) एवं रीडर्फिल्ड्रम जिसने जिल्डसाजी अनुभाव में तीन महीने के प्रशिक्षण के पश्चात् इस श्रेणी में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की है।	प्रो-न्यूनति:- 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसा जिल्डसाज जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष में नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर 3050-75-3950-80-450 रुपये के बेतनमान में ऐसा सहायक जिल्डसाज जिसने समीक्षित रूप से श्रेणी में तथा जिल्डसाज की श्रेणी में तेहर(13) वर्ष की समीक्षित नियमित सेवा की है।	समूह 'ग' विधानीय प्रो-न्यूनति समिति जिसमें नियन्त्रित व्यापार नहीं होता।	लागू नहीं होता।

संघे भर्ती किए गए व्याकुलकर्त्ता लिए दी जिसके न हो सकने पर गोपन्ति द्वारा जिसके न हो सकने के बावजूद इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रो-न्यूनति:-

4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसा जिल्डसाज जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष में नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर 3050-75-3950-80-450 रुपये के बेतनमान में ऐसा सहायक जिल्डसाज जिसने समीक्षित रूप से श्रेणी में तथा जिल्डसाज की श्रेणी में तेहर(13) वर्ष की समीक्षित नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विधान भी सम्मानित है), के एसे अधिकारी:-

(क) जो सदृश पद अर्थात् 4500-125-7000 रुपये के बेतनमान में ऐसा सेक्षण होल्डर (जिल्डसाजी) विष्वम वैकर (जिल्डसाजी) जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हों;

(ख) 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसा जिल्डसाज जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य सांसद/विधान में इस नियुक्ति के द्वारा पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साथराणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. जिल्हसचिव (विशेष श्रेणी) जिल्हसचिव पद का विलयन विलयन पद के साथ किया गया है)।	पांच सौ छिह्नर (576) (कार्यभार के आधार पर पद के साथ किया गया है)।	साथारण के दोष सेवा, समूह 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-II), परिवर्तन किया आरक्षपात्रत, आ सकता है)।	40000-100- 6000 रुपये।	अवधारन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोनाति द्वारा विसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा।	प्रोनाति:- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के बेतनमान में ऐसा सहायक विलयन विलयन जिसने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अहोता प्राप्त करने के अन्यथामन रहते हुए आठ वर्षों को नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोनाति समिति जिसमें नियन्त्रिति द्वारा होती:	लागू नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति:-

केंद्रीय सरकार (विसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के
ऐसे अधिकारी:

(क) जो सदृश पद अर्थात् 4000-100-6000 रुपये के
बेतनमान में ऐसा विलयन विलयन जो नियमित आधार पर पद
धारण किए हुए हों या

(ख) 3050-75-3950-80-4590 रुपये के बेतनमान में
ऐसा सहायक विलयन विलयन सम्बन्धित व्यवसाय में गोपनीय
आर्द्धप्राप्त करने के अन्यथामन रहते हुए आठ वर्ष की नियमित
सेवा पूरी की हो।

(प्रतिनियुक्ति को अवधारणा के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के
उसी श्रेणी अन्य संसाधन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक
पालने आवित किसी अन्य काउन्ट एवं एक-सह-नियुक्ति की
अवधारणा है, साथी अन्या तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. सहायक जिल्दपाज़।	एक हजार छह सौ टेईस (1623)	साथारा केरीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	3050-75-3950- 80-4590 रुपये ।	अवधान !	लागू, नहीं होता ।	अद्यताह से सलाइस वर्च के बीच (सीधी भर्ती होना नियुक्ति के लिए विधायिक अभियंत्रों को उच्च आयु सीमा शिखित कर के देसीस वर्चक को जा सकती है। अनुशृद्धि जारिये और अनुशृद्धि जनकान्दिमो को दसा में पांच वर्च और शिखित को जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से भैरवी (10वीं कक्षा) ऊर्णी ! (ii) शिक्षा अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाणपत्र । या + 2 स्तर पर मुद्रण ब्रैडोग्राफी में व्यवसायिक प्रदर्शनम सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाणपत्र ।

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियायिक तरीख भारत में अभियंत्रों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अनिम तरीख होगी। (न कि वह अनिम तरीख जो असम, मेघालय, असामाञ्चल, निपुण, नालालैंड, विपुरा, ब्रह्मपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, विपुरा, निमिक्कम, जम्मू कश्मीर राज्य के दद्दाख खाङ, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और के मासमौ में शिखित की जा सकती है (है) जब उनके लिए तथा चक्का जिले का छंगी उम्मण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप वा लालैंडोप के अभियंत्रों के लिए शिखित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जाने के लिए अपेक्षित अनुशव्वर रद्दने की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दसा में, आयु सीमा अवधारित के लिए नियायिक तरीख वह अंतिम तरीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

टिप्पणी:- अद्यतव सम्बन्धी अहता (अहताएं) संबंधीक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन अभियंत्रों के विवेकानुसार अनुशृद्धि जारियों या अनुशृद्धि जनकान्दिमों के अभियंत्रों जब उनके लिए शिखित की जा सकती है (है) जब उनके लिए ग्राम्यकारी चयन अभियंत्रों से असमीयों के लिए शिखित की जा सकती है कि उनके लिए अपेक्षित वाल उन सम्बन्धों के अभियंत्रों के अनुशव्वर रद्दने में उपलब्ध होने की संभवता नहीं है ।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपरेटर के सीधी भर्ती किए गये व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। स्थानान्तरित या अप्रसिद्ध अधिकारम्	(i) सौ प्रतिशत मुद्रणालयों से अप्रसिद्ध उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा तिए हों।	(i) सौ प्रतिशत मुद्रणालयों से अप्रसिद्ध उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा तिए हों।	(i) सौ प्रतिशत मुद्रणालयों से अप्रसिद्ध उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा तिए हों।	नियमित जिल्हाधक जिल्हासाज़, मानो कास्टर प्रचारक, कम्पोनिटर-II, पश्चिम सहायक (अक्षर मुण्ड), कांडी होल्डर, प्रफूल्ल मैन-1, डार्कल्स सहायक, इच्छ, मरीन सहायक (रेसरी), स्टारियो टाइप, माउटर, विलरक, स्लिपर, प्रफूल्ल मैन-1 तक्ष मेटल बल्ट को तीन स्लिपर, प्रब्रैकर (प्रशासन) — सहायक महिलाओं के कार्य का बालकार किसी विद्या के बाद स्थानान्तरण से अप्रसिद्ध द्वारा, ऐसा सहायक सम्मान द्वारा विकसित हुए युवकों का बालकार को छोड़कर जहाँ मुद्रणालय महिलाओं के कार्य का बालकार किसी विद्या के बाद स्थानान्तरण से अप्रसिद्ध द्वारा, ऐसा सहायक बल्ट को अप्रसिद्ध जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	समूह 'ग' विधायीय प्रेनाहि समिति जिसमें नियमित जिल्हाधक जिल्हासाज़ होता।
विद्यमान आपरेटर के सीधी भर्ती किए गये व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। स्थानान्तरित या अप्रसिद्ध अधिकारम्	(ii) फ्लास प्रतिशत प्रोन्टनि द्वारा, (iii) पांच प्रतिशत अनौशांशिक सम्मान पैतलीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ पैतलीस (45) वर्ष तक आयु के उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा तिए हों।	(ii) फ्लास प्रतिशत प्रोन्टनि द्वारा, (iii) पांच प्रतिशत अनौशांशिक सम्मान 'ब' से अप्रसिद्ध द्वारा, (iv) पैतलीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा विकसित न हो सकने पर द्वारा विकसित न हो सकने पर प्रोन्टनि द्वारा।	(ii) फ्लास प्रतिशत प्रोन्टनि द्वारा, (iii) पांच प्रतिशत अनौशांशिक सम्मान पैतलीस (45) वर्ष तक आयु के उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा तिए हों।	1. आत सकार मुद्रणालय के हैं:- सहायक विकासकार विकासक — अधिकारक होल्डर, प्रफूल्ल मैन-1, डार्कल्स सहायक, इच्छ, मरीन सहायक (रेसरी), स्टारियो टाइप, माउटर, विलरक, स्लिपर, प्रफूल्ल मैन-1 तक्ष मेटल बल्ट को तीन स्लिपर, प्रब्रैकर (प्रशासन) — सहायक महिलाओं के कार्य का बालकार किसी विद्या के बाद स्थानान्तरण से अप्रसिद्ध द्वारा, ऐसा सहायक बल्ट को छोड़कर जहाँ मुद्रणालय महिलाओं के कार्य का बालकार किसी विद्या के बाद स्थानान्तरण से अप्रसिद्ध द्वारा, ऐसा सहायक बल्ट को अप्रसिद्ध जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	समूह "ग" विधायीय प्रेनाहि समिति जिसमें नियमित जिल्हाधक जिल्हासाज़ होता।

प्रोन्टनि:-

2550-55-2600-60-3200 रुपये के बीतामान में व्यवसाय परीक्षण अहली करने के प्रतिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ऐसे ग्रामिक विकासी से विनियोग द्वारा होते के प्रशासन ही किया जायेगा। सहायक विलरक जिल्हासाज़ के पद हेतु ग्रामिकों के अप्रसिद्ध उपलब्ध परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा शिथित करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।

उपलब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा शिथित करके पचास (50) वर्ष तक की जा सकती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. प्रधान रोहर ।	तेह (13) (कार्यभार के साथारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' रथये। आथार पर परिवर्तन किया आ सकता है।)	5000-150-8000 अप्रसिद्ध।	लग्न नहीं होता।				

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	प्रेस्नाति द्वारा विस्तके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा।	प्रेस्नाति:- 4500-125-7000 रुपये के बैतनमान में ऐसा कोणी सम्पादक जिसने उस क्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा कोणी सम्पादक जिसने उस क्रेणी में और रिडर की क्रेणी में समिलित रूप से आठ वर्ष नियमित सेवा की है दोनोंके न हो सकने पर मैं ऐसा रिडर जिसने आठ वर्ष की सेवा की है। प्रतिनियुक्तिः—	सम्हृ-'ग' विशारदीय प्रेस्नाति समिति जिसमें निन्मलिखित होता।	1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालय के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपचारता का महांगंकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. रीडर (लिखानकर का पद रीडर के साथ मिला दिया गया है तथा रीडर के रूप में पुनर्वाप्ति किया गया है)।	एक सौ (143) रीडर के साथ मिला दिया गया है तथा रीडर के रूप में पुनर्वाप्ति किया गया है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृद्ध 'ग' (उच्चक्रमांक कार्यालय के आधार पर पारवर्तन किया जा सकता है)।	4000-100- 6000 रुपये।	अवधारण।	लागू नहीं होता।	अवधारण से सत्तार्हसंघर्ष के बीच (साथी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्यक्षियों को उच्च आयु सेवा शिक्षित। कर के पैतीस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसन्धान जातियों और अनुसन्धान जातियों को दशा में पांच वर्ष और शिक्षित को जा सकती है।)	(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विविधालय से स्नातक। (ii) प्रफुल्लिंग निवित करने की आवश्यकीय भाषा में दक्षता और एक क्षेत्रीय भाषा में दक्षता विस्तका मुद्रणालय में प्रोग्राम होता है। (iii) हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता और एक क्षेत्रीय भाषा में दक्षता विस्तका मुद्रणालय में प्रोग्राम होता है। (iv) किसी भी विभाग प्राप्त मुद्रणालय में प्रफुल्लिंग का दो वर्ष का अनुबन्ध।

टिप्पणी— आयु सेवा अवधारणित करने के लिए विभागिक तारीख भारत में अध्यक्षियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत को नहीं अनियम तारीख होगी। (न कि वह अनियम तारीख जो असम, मेघालय, असमाञ्चल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम कर्मी राज्य के लद्दाख खान्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांगी उपखान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या साल्वांडीप के अध्यक्षियों के लिए विवित को नहीं है)। रोजगार कार्यालयों के मान्यम से कोई जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दशा में आयु सेवा अवधारणित के लिए नियमित तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
आयु - नहीं। अर्हता - है।	सौंध भर्ती किए गए चक्रियां के लिए दो दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती दर।	प्रो-नति दरा जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्त दरा वर्ष।	प्रो-नति:- (i) पचपन प्रतिशत रिक्तियों को 3050-75-3950-804590 रुपये के बेतनमान में ऐसी कारणी होलडर को श्रेणी से ज्येष्ठा के आधार पर भरा जायेगा जिसमें मुद्रण निवेशालय द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण विसे गोडारिय परीक्षा करता है, मैं अहतों प्राप्त करने के अध्ययन रहते हुए उस श्रेणी में आठ चर्च को नियमित सेवा की हो। (ii) मैतालीस प्रतिशत रिक्तियों को मुद्रण निवेशालय द्वारा संचालित रीडरिय परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।	समूह 'ग' विभागीय प्रो-नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार, किसी विभाग का ऐसा आहुय सदस्य विस्तरी उपचुक्ता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुशूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) जो 4000-100-60000 रुपये के बेतनमान में रोडर के पद पर नियमित आधार पर धारण किए हुए हो।	(प्रतिनियुक्ति की अधिक विस्तरे के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया गीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8. कापी होल्डर ।	143 (एक सौ तैलालीस)	माधाण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), (कायथार के अनुरूप परिवर्तन के अधीन) ।	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये ।	अचरण। लागू नहीं होता।	अद्वारा से सचाईस वर्ष के बीच (सीधी भूति द्वारा निश्चित के लिए विभागीय अध्याधिकारी को उच्च आयु सीमा शिथिल कर के पैतीस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल को जा सकती है।)	(i) किसी मानवता प्राप्त विश्वाविद्यालय से स्नातक (ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा विसमें पुण्यालय में प्रृष्ठण किया जाता है। का जान। (iii) किसी खालि प्राप्त मुद्रणालय या संस्थान में प्रृष्ठ रीडिंग का दो वर्ष का अनुभव।	

टिप्पणः— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निष्पात्र तारीख भारत में अध्याधिकारी से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत को गई अनिम तारीख होगी। (न कि वह अनिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम् करमार राज्य के लक्ष्याङ्क खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थानि जिले तथा बन्धा जिले का पांगी डाकखान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लाङ्गद्वीप के अध्याधिकारी के लिए नियित को गई है)। रोजगार कार्यालयों के प्रायम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दरमां में, आयु सीमा अवधारित के लिए निष्पात्र तारीख बहु अधिक तारीख होगी विस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
आयु - नहीं । शैक्षिक अहंता - है ।	सोधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो चर्चे ।	अन्य मुद्रणालयों से सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा निपटके न हो सकते हैं, (i) नव्वे प्रतिशत प्रोन्टन्टि द्वारा । (ii) दस प्रतिशत प्रोन्टन्टि द्वारा ।	अन्य मुद्रणालयों से सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा जो महोने के सफल प्रशिक्षण तथा व्यावसाय परीक्षण के प्रमाणात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से कम्पोजिटर श्रेणी-II के आमेलन द्वारा ।	आमेलन:- उड़ी: महोने के सफल प्रशिक्षण तथा व्यावसाय परीक्षण के प्रमाणात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों से कम्पोजिटर श्रेणी-II के आमेलन द्वारा ।	समूह 'ग' विवाहीय प्रेन्टन्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कारप्रबन्धक का पारमप्रबन्धक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग के ऐसे औद्योगिक कर्मचारी जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से महिलाएँ या समकक्ष हो और जिन्होंने व्यावसाय परीक्षण में अल्पीं प्राप्त करने के अध्ययनीन रहते हुए, पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। यानि जिन्होंने के हिस्से को ध्यान में रखते हुए किया काना है।
आयु - नहीं । शैक्षिक अहंता - है ।					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. प्रधान भैकेनिक (मुद्रण एवं चिल्डसेजी)।	बारात (12) (कार्बोरेंट आशार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण कोन्फरेंस सेस्म, समूह 'ग' परिवर्तन किया जा सकता है)।	4500-125- 7000 रुपये।	अचन।	लागू नहीं होता।	अद्वारह से सताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारीों को उच्च आयु सीमा शिखिल कर के पैलीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और शिखिल की जा सकती है।)	अनिवार्यः- (i) किसी मानवाधिकार विवरितातय या संस्था से यात्रिकी या बैठुत या इलैक्ट्रिक इलेक्ट्रिकियन्स में विद्युतमा। (ii) किसी ऊपाति प्राप्त संस्था या मुद्रालय में मुद्रण तथा उससे सहबद उपकरणों के रख-खाल नरमत करने का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणः—आयु सीमा अवधारित करने के
लिए निर्णयक तारीख भारत में अधिकारीयों
से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत को
गई अनिम तारीख होती। (न कि वह
अनिम तारीख जो असम, मेघालय,
अरण्यांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
नागार्हाइ, त्रिपुरा, शिक्षिकाम, जम्मू-कश्मीर
राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के
लाहौल और स्मीति जिले तथा चम्बा जिले
का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार
द्वीप या लक्ष्मद्वीप के अधिकारीयों के लिए
विहित की गई है।) रोजार कार्यालयों के
माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति
की दशा में, आयु सीमा अवधारित के
लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख
होगी जिस तक रोजार कार्यालयों से नम
भेजने के लिए कहा गया है।

बांधीयः-

(i) मुद्रण तथा जिल्डसाजी उपकरणों में प्रयोग
होने वाले वैष्णुविक्षिप्त पुर्जों की
जानकारी।

(ii) मुद्रण तथा जिल्डसाजी उपकरणों / मणिमी
का निर्माण करने वाली किसी नियमित इकाई
में कार्य का अनुभव।

टिप्पणः—अनुभव संबंधी अहर्ता (अहर्तीये) संघ
लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग
या सदस्य प्राधिकारी के लिए
जातियों या जनजातियों के
मामलों में शिथिल की जा सकती है (है) जब
प्रक्रिया में संघ लोक सेवा
चयन की किसी प्रक्रिया में अनुभव
आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सदस्य
प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए
आधिकारित विकारों को भरने के लिए अमेलित
अनुभव रखने वाले उन समझौतों के अध्यधिकों
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने को सम्भवना
नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भत्ता किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रो-न्यूट्रि टिक डाग जिसके न हो सकते फ प्रतिनियुक्त द्वारा दंतों के न हो सकने पर सोची भत्ता द्वारा।	प्रो-न्यूट्रि टिक डाग जिसके न हो 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं चिह्नसाजी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।	समृद्धि 'ग' विकासीय प्रो-न्यूट्रि टिक डाग जिसमें निम्नालिखित होंगी: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारासाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा आद्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुरूपित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को व्याप में रखते हुए किया जाना है।	प्रतिनियुक्तिः— केंद्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी: (क) 4500-125-7000 रुपये के बेतनमान में ऐसा प्रथम मैकेनिक (मुद्रण एवं चिह्नसाजी) जो नियमित आधार पर पद धारण किए हो या (ख) 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसा मैकेनिक (मुद्रण एवं चिह्नसाजी) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के
उसी या किसी अन्य संसदीय विभाग में इस नियुक्ति के ठीक
पहले शासित किसी अन्य काड़ पद पर प्रति-नियुक्ति की
अवधि है, साथरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10. मंकेनिक (मुद्दा एवं जिल्दसाजी)।	तिरपट (63) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केर्टिय सेवा, समृह 'ग' (अतिकुरुत अराजपति, अनुसविय)	4000-00/- 6000 रुपये।	अध्ययन।	लागू नहीं होता।	अद्यत ह से सर्वाईस वर्ष के बीच (सेवी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए विभागीय अध्यार्थियों को उच्च आयु सेवा शिखित कर के भौतिक वर्तक को जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दस्ता में पांच वर्ष और शिखित की जा सकती है।)	अनिवार्यः— किसी प्राप्त सेवा या पुष्टणालय में मुद्रण तथा उससे संबद्ध उपकरणों के ख-खाच/परमत का दो वर्ष का अनुभत।

टोटः— आयु सीमा अवधारित करने के लिए अध्यार्थियों से इष्यणः—अद्यत संबंधी अवृत्ता (अवृत्ती) संबंधीक तरीख भारत में अध्यार्थियों के लिए नियत को गई लोक सेवा आयोग या अधिनियम-प्राप्त करने के लिए नियम सहम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित अनियम तरीख होती है। (न कि यह अद्यत जातियों या जनजातियों के अध्यार्थियों के अवधारित तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल जातियों या जनजातियों की जा सकती है (है) जब चयन की प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मंशियित की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या प्रिविकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लिए लोहील और कर्मचारी चयन आयोग या सहम प्राधिकारी की स्थोति लिए तथा चयन की पांच राज्य हैं कि उनके लिए अधिकत रिक्तियों को उपलब्ध, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या भरते के लिए अधिकत अनुभव रखने वाले उन लक्ष्यदाताओं के अध्यार्थियों के लिए विहित को समुदायों के अध्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध होने को सम्भवता नहीं है।

इष्यणः—अद्यत संबंधी अवृत्ता (अवृत्ती) संबंधी अधिनियम-प्राप्त करने के लिए नियत को गई लोक सेवा आयोग या अनुसूचित अनियम तरीख होती है। (न कि यह अद्यत जातियों या जनजातियों के अध्यार्थियों के अवधारित तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल जातियों या जनजातियों की जा सकती है (है) जब चयन की प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मंशियित की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या प्रिविकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लिए लोहील और कर्मचारी चयन आयोग या सहम प्राधिकारी की स्थोति लिए तथा चयन की पांच राज्य हैं कि उनके लिए अधिकत रिक्तियों को उपलब्ध, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या भरते के लिए अधिकत अनुभव रखने वाले उन लक्ष्यदाताओं के अध्यार्थियों के माध्यम से उपलब्ध होने को सम्भवता नहीं है।

आयु सीमा अवधारित के लिए नियांक तारीख यह अद्यत तारीख होगी जिस तक

रोजगार कार्यालयों से नम भेजने के लिए

कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	भारत सरकार मुद्रणालय से सीधे प्रतिशत अमरलन द्वारा विसके न हो सकने पर-	आमलन:- ऐसा नियमित बैकेनिक (मैकेनिकल कम्पोजिंग) जिसने छः- महीने के प्रशिक्षण तथा आफर्सेंट, चिल्टसाली से सब्ड-उपस्कर्ट/मशीनरी में व्यावसाय परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। पर प्रतिनियुक्ति द्वारा,	समूह 'ग' विभागीय प्रेन्टिंग नियमित जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
	(i) पचास प्रतिशत प्रेन्टिंग द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा,	(ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रेन्टिंग द्वारा।	प्रो-नवी:- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के बेलनमान में ऐसा सहायक बैकेनिक (मुद्रण एवं चिल्टसाली) जिसने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अर्थात् प्राप्त करने के अव्यधीन रहते हुए, आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:	1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अधिक 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतप्रधक — सरकार 3. सहायक प्रबन्धक (प्राप्तासन) — सरकार 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सरकार जिसकी उपयुक्तता का पूर्णांकन अनुमतिष्ठ जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया जाना है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. सहायक वैकेन्टिक (मुद्रण एवं वितरणातो)।	साठ (60) (कार्यपार के आधार पर (मुद्रण एवं वितरणातो)।	साथारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'न' (चुनाव), परिवर्तन किया आवश्यकता जा सकता है।	3050-75- 3950-80-4590 रुपये।	बधन।	लागू नहीं होता।	अद्वाह से सारांश बर्बंध के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विधायिका या संसदा अधिकारी को उच्च आनु सीमा शिखित कर के फैसले नहीं की जा सकती है। अनुविधित उत्तिमों और अनुसंधान जनविधियों की दृष्टि में पात्र घर्ता और शिखित की जा सकती है।)। उच्च-ग्रामीणमत का दो बर्बंध का उन्नपुर।	अनिवार्यः— (i) किसी भारतीयालय विविधायिका या संसदा से यांचिकों या वैद्युत या इलैक्ट्रिक इंडोरिंग में डिसेप्ट। (ii) किसी भारती प्राव संसदा या मुद्रालय में मुद्रण तथा उससे सहबद उपकरणों के उच्च-ग्रामीणमत का दो बर्बंध का उन्नपुर। टिप्पणः— अनु दीमा अवधारित करने के लिए नियन्त्रक तारीख भारत में अधिकारीयों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अविष्टम तारीख होती है। (न कि वह अविष्टम तारीख जो असम, मेजाली, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, तिबिकाम, जम्मू, कर्नाटक राज्य के लद्दाख ज्ञान, विहार प्रदेश के लाहौल और स्मीति जिसे तथा चक्का जिसे का पाणी उपज्ञाप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्मणीप के अधिकारीयों के लिए आवश्यकता विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कोने चाली भर्ती/नियुक्ति को दृष्टि गतिना में संबंध लोक सेवा अवधार दशा में, आनु सीमा अवधारित के लिए कमर्चारी व्यवस्था नियन्त्रक तारीख वह अविष्टम होती है कि उनके लिए आविष्ट विकासों को विस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने भरने के लिए अविष्टम अनुप्रस्थ रखने वाले उन उपराख सेवों की सम्मानना नहीं है। उपराख करा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए, सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन:-	भारत सरकार के मुद्रणालयों के सहायक मंडेनिक (मेंटेनिकल कम्पोजिंग) जिन्हें छः महीने के प्रशिक्षण तथा आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर दुके हैं।	समूह 'ग' विधायी प्रेस्न-समिति विषय में विमालित होंगे:	लागू नहीं होता।
ब्यक्तियों के लिए, विसके न हो सकने पर दो चर्चे।	आमेलन द्वारा।			1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक,	— अध्यक्ष
				2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारताधिक — सदस्य	
				3. सहायक प्रबन्धक (ग्रामासन) — सदस्य	

4. मुद्रणालयों के कार्य का आनकार किसी विधाया का ऐसा बाह्य सदस्य विसकी उपस्थिता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12. विज्ञली विस्तृ।	छठोम (26) (कार्यपार के सेवा, समूह 'ग' आचार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	आधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (आदिकुरुताल प्रणाली-II), श्रेणी-II।	4000-100-6000 रुपये।	लापू नहीं होता। अबयन।	अस्कूल से सामाइस बर्च के बीच (सीधी फॉर्म द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय सेवा उपर्युक्त या संस्था अधिकारी को उच्च अथु सीमा शिक्षित कर के देखीस बर्च तक की जा सकती है। अनुशुद्धित (i) वैयुत परिवेश का योग्यता प्रमाणपत्र। जातियों और अनुशुद्धित जनजातियों की दशा में (ii) भूमित केन्द्र ग्रणाती सीहि दिवित प्रकार के उच्च दब तथा निन दब वाले वैयुत पंच बर्च और शिथिल की जा सकती है।)	अस्कूल से सामाइस बर्च के बीच (सीधी फॉर्म द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय (i) किसी मान्यताप्राप्त विवेकानान या संस्था सेवा उपर्युक्त या संस्थानिकी में हिस्सोग। अन्याधिकारी को उच्च अथु सीमा शिक्षित कर के देखीस बर्च तक की जा सकती है। अनुशुद्धित (ii) वैयुत परिवेश का योग्यता प्रमाणपत्र। भूमित केन्द्र ग्रणाती सीहि दिवित प्रकार के उच्च दब तथा निन दब वाले वैयुत पंच बर्च प्रतिष्ठापन के रुच-रञ्जकवर्गालाल का दो बर्च का अनुशुद्ध।	अनिवार्य:-

टिप्पणः- अथु सीमा अवधारित करने के लिए विभाग के रुच-रञ्जक का ज्ञान। शिए निर्णयिक तारीख भारत में अध्याधिकारी से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की टिप्पणः-अनुशुद्ध संबंधी अहता (अहतार्थ) संस गई अंतिम तारीख होती है। (न कि वह अंतिम लोक सेवा आयोग या कर्मचारी बथन आयोग तारीख जो असम, मेघालय, अरण्याचल साम्राज्यिकरी के विवेकानान अनुशुद्धित प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुणी, जातियों या जनजातियों के अध्याधिकारी के पासली विविध, असम् कर्मचारी राष्ट्र के राष्ट्र भूमित विविधत की जा सकती है (है) वह बथन की छाप, हिमाचल प्रदेश के लोहोल और विस्ती प्रक्रिया में संबंध लोक सेवा आयोग या स्वेति जिले तथा चम्पा विले का पांगी कर्मचारी बथन आयोग या साङ्गम प्राधिकारी की उम्खाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या राष्ट्र यह है कि उनके लिए आवेदित विकारों को संस्कृतीप के अध्याधिकारी के लिए विभाग की भरने के लिए अमेडित अनुशुद्ध रखने वाले उन गई है।) रोजगार कार्यालयों के योग्यम से सम्पदार्थों के अध्याधिकारी के पार्वत संस्था में, उपलब्ध होने की समावना नहीं है।

अनुसंदेश अवधारित के लिए नियार्थक आनुसंदेश अवधारित के लिए नियार्थक लारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से जनन भेजने के लिए काह गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं।	सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिमये के लिए दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत प्रौद्योगिकी प्रोन्टि:- द्वारा जिसके अभाव में प्रतिनियुक्ति होता, वायरमेन चिस्ते उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अहर्वा प्राप्त करने के अध्ययनोन रहते हुए आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति:-	(ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके अभाव में प्रोन्टि होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रौद्योगिकी समिति समिति जिसमें नियन्त्रित लागू नहीं होता।	(14)
				समूह 'ग' विभागीय प्रौद्योगिकी समिति समिति जिसमें नियन्त्रित लागू नहीं होता।	
				होती:	
				1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — सचिव 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. सदस्यालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बहुसंसदस्य चिस्ते उपयुक्तता का पूर्णांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	
				(क) जो विकली मिली के पद पर 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में नियमित सेवा सहित पद धारण किए हैं। (ख) वायरमेन के पद पर रुपये 3050-75-3050-4590 के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो उके व्यवसायिक परीक्षण में अहर्वा प्राप्त करने के अधीन रहते हुए।	
				(प्रतिनियुक्ति को अवधि, जिसके अन्तर्गत कोंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठेक पहले जाति किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की उचित है, साथसातया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13. वाचरमैन।	आठ (8) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साथरण केन्द्रीय सेक्युरिटी, समूह 'ग' (बुशल), आजप्राप्ति, अनुसन्धान किया जा सकता है।	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये।	अवचयन।	लागू नहीं होता।	अद्वारह से सलाइस वर्ष के बीच (सोधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए विश्वासीय अस्थायिकों को उच्च आय सीमा शिखित कर के चेतीस वर्ष तक की जा सकती है।	(i) किसी मानवाधार विश्वासीलय या संस्था से बैद्युत या इलेक्ट्रिनिकों में विलोपा। (ii) बैद्युत कार्मिकार का अनुसारपत्र। (iii) कर्मिकार योग्यता प्रमाणपत्र या बैद्युत प्रसिक/इलैक्ट्रिकल वर्कमैन अनुरूपित (योग्यता प्रमाणपत्र श्रेणी-II) या अन्य कोई समाकक्ष प्रमाणपत्र तथा इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुश्रव।

टिप्पणी:- आय सीमा अवधारित करने के
लिए नियन्त्रिक तरीख भारत में अस्थायिकों
से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की
गई अन्तिम तारीख होती है। (न कि वह
अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय,
अरण्णाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर
राज्य के लक्ष्य खण्ड, हिमाचल प्रदेश के
लाहौल और स्पीति निले तथा चक्षा जिले
का पासी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार
द्वीप या लक्ष्मणीप के अस्थायिकों के लिए
विलित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के
मध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति
की दसा में, आय सीमा अवधारित के
लिए नियन्त्रिक तारीख वह अंतिम तारीख
होती जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम
भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं करना।	प्रोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(i) पश्चोत्त प्रशिक्षण प्रोन्नति-द्वारा जिसके न हो सकते न. प्रैक्टिसिटेशन द्वारा, (ii) पचहत्तर प्रैक्टिस द्वारा: भर्ती द्वारा: जिसके न हो सकते प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>को-द्वीय तरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(ख) 3050-75-3050-4590 नं. के बेतनमान में ऐसा वायरमैन नियमित सेवा सहित पद धारण किए हुए हो। (प्रतिनियुक्ति को अवधि, जिसके अन्तर्गत को-द्वीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनविभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़ पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है। साथरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>प्रोन्नति:- 2550-55-60-3200 रुपये के बेतनमान में ऐसा इलेक्ट्रिकल खलानमंग जिसने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अहर्ता प्राप्त करने के क्षेत्रपर्याप्त रहते हुए, अब वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>को-द्वीय तरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(ख) 3050-75-3050-4590 नं. के बेतनमान में ऐसा वायरमैन नियमित सेवा सहित पद धारण किए हुए हो। (प्रतिनियुक्ति को अवधि, जिसके अन्तर्गत को-द्वीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनविभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़ पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है। साथरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय ब्रेन्टान्टि समिति जिसमें विन्नलिखित लागू नहीं होता।</p> <p>होगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> भागत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतपालक — सदस्य सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य <p>4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसको उपबुद्धता का मूल्यांकन अनुसरित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।</p>	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14. इलैक्ट्रिकल खालासी ।	छ: (6) (कार्यशार के आचार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साथारण केन्द्रीय सेवा, स्मृह 'ब' (अक्षुशल)	2550-55- 2600-60- 3200 रुपये।	घनम ।	लगातार नहीं होता ।	अद्यतन से साधारण वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए विभागीय अध्यक्षियों को उच्च आयु सेवा विधित कर के संविस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों की दरमा में यांच वर्ष की ओर शिखिलन की जा सकती है।)	(i) किसी मानवता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) बोर्डी। (ii) वैयुत या इलैक्ट्रिनिकों क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणः—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतां) संबंधित सेवा आयोग या कर्मचारी घनम आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित लिए नियांक तारीख भात में अध्यक्षियों जातियों या जनजातियों के मानवलों से आवेदन-प्रस्ता करने के लिए नियत की जा सकती है (है) जब घनम की गई अनियम तारीख होगी। (न कि वह किसी प्रक्रिया में संबंध लोक सेवा आयोग या अनियम तारीख जो असम, मेघालय, अरण्णांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति त्रिलोक चन्द्रा जिले का पांगी उपखण्ड, अंमान एवं निकोबार द्वीप या लाक्ष्मीप के अध्यक्षियों के लिए विहित की गई है।)। रोकार कार्यालयों के माध्यम से कोई जाने वाली भर्तीनियुक्ति की दरमा में, आयु सेवा अवधारित के लिए नियांक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो बर्च।	सौ प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'च' विधायी प्रेनटि समिति जिसमें निम्नलिखित होगी:	लागू नहीं होता।

1. भारत सरकार मुद्रणालय के
महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारताधिक — सदस्य
 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
 4. मुद्रणालयों के कार्य का जनकार किसी विभाग
का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का
मूल्यांकन अनुमूलिक जातियों और अनुषुशित
जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया
जाना है।
- इस संबंध में कार्यिक और प्रशिक्षण और प्रियंग
निदेशालय द्वारा जारी सुनिश्चित अनुदेशों का कठोरता
से पालन किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15. खेलर।	चार (4)	साथराण केरीय (कार्बनार के सेवा, समूह 'ग' आधार पर परिवर्तन किया आवश्यकता है)।	3050-75- 3950-80- (दुश्शल)	चयन।	लगू नहीं होता।	अद्वाह से सतर्कता प्राप्त विधाय या घोर्टे (सोधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी को उच्च अपु सेवा शिखित कर कर सेवीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुशिष्ट कर्त्तव्यों और अनुशिष्ट जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिखित की जा सकती है।)	अनिवार्यः— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतामें) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुशिष्ट जातियों या जनजातियों के अनुशिष्ट जो असम, मेचालय, अरुणाचल प्रदेश, मिस्रोरप, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख चिंगारी तथा चमोली जो राज्य यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप या सक्षम प्राधिकारी की राज्य यह है अधिकारी के लिए विहित की गई है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने चाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आप सभी अवधारित के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए करा गया है।

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियमित तारीख भात में अधिकारी से अवधारित-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होती है। (न कि वह अनितम तारीख जो असम, मेचालय, अरुणाचल प्रदेश, मिस्रोरप, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख चिंगारी तथा चमोली जो राज्य यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप या सक्षम प्राधिकारी की राज्य यह है अधिकारी के लिए विहित की गई है।) समुदायों के अधिकारी के पर्यावर संज्ञा में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सोधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो घर्षणीय	सोधे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा चिकित्सके न हो सकने पर के लिए दो घर्षणीय	प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार (चिकित्सके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) का अधिकारी:	समूह 'ग' विभागीय ब्रेन्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: (क) 3050-75-3950-80-4590 लघुवे के बोतनमान में ऐसा बेल्डर जो नियमित सेवा सिलिंडर द्वारा लिए गए हों।	लागू नहीं होता।

1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा व्याय सदस्य वित्तको उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसिद्धि जानियों और अनुसिद्धि जनवाचियों के लिंगों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16. छड़ी।	बाहर (12)	साथारण केन्द्रीय (कार्यालय के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साथारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल)	3050-75-3950- 80-4590 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विधालय या बोर्ड से अद्वारा ही सताइस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती/द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्यार्थियों को उच्च आयु सिवाय शिथित कर के पैतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुशिष्ट जातियों और अनुशिष्ट जनजातियों को दशा में पांच वर्ष की ओर शिथिलन की जा सकती है।)</p> <p>(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र के लिए सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए विवेकनुसार अनुशिष्ट नियांयिक तारीख भारत में अध्यार्थियों से जातियों या जनजातियों के आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई मासलों में शिथिल की जा सकती है (है) अंतिम तारीख होती। (न कि वह अन्तिम जब चयन की किसी प्रक्रिया में सब लोक तारीख जो असम, मेघालय, अरण्यांचल सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश, निकेतन, नगालैंड, त्रिपुरा, सक्षम प्राधिकारी को राय यह है कि उनके सिविकाम, जम्मू कश्मीर राज्य के लघाव खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मृति जिले तथा चम्बा जिले का नामी उपखाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्मणपुर के अध्यार्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>(iii) व्यवसाय कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दस्ता में, आयु सीमा अवधिगत के लिए नियांयिक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधे प्रतिशत सभी भर्ती द्वारा किए गए व्यक्तियों जिसके न हो सकने पर कोई अधिकारी: प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:	समूह 'ग' विधायिय प्रेसनाली समिति जिसमें निम्नलिखित संघों के लिए दो वर्ष।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17. दृक चालक (शारीरिक) ।	पांच (5) (कार्यभार के अभाव पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण कंपीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल)	3050-75-3950- 80-4590 रुपये ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।	अद्वारा ह से सारांश वर्ष के बीच (सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी को उबल आयु सीमा नियमित कर के पैतोस वर्ष तक को जा सकती है। अनुष्ठित चालियों और अनुष्ठित जनकारी को दरा में पांच वर्ष और नियमित को जा सकती है।)	(i) वे नी भावता प्राप्त विभागीय या बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण । (ii) नोट बाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुष्ठान । (iii) भारी मोटर-बाहन चलाने का अपरिवर्तन कियमान चलान अनुज्ञानिक । (iv) ओटो बोर्डलो का जन।

टिप्पणी:- आद्य सीमा अवधारित करने के
लिए नियंत्रिक तारीख भारत में अधिकारी
से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत को
गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांखल
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लघात
झण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और
स्त्रीति जिसे तथा चाला जिसे का पानी
उपखान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या
लक्षद्वीप के अधिकारी के लिए विहित की
गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से
को जने वाली भर्ती/नियुक्ति को दरा में,
आद्य सीमा अवधारित के लिए नियमिक
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक
रोजगार कार्यालयों ने भर्ती के लिए

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सारू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत प्रेन-ति द्वारा जिसके न हो सकने पर में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पद सीधे भर्ती द्वारा।	प्रो-न-ति:- ट्रैक इंजिनर जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर आदे ट्रैक चालक जिसने उस श्रेणी में तथा कल्पना चालक श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्ययनपत्र रखते हुए कुल ३८ वर्ष सेवा की हो और भारी बाहन चालक अनुचित धारक होना आवश्यक है। प्रतिनियुक्ति:-	समूह 'ग' विभागीय ब्रेन-ति समिति जिसमें नियमित विभिन्न होंगे: 1. भारत सरकार युद्धालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारताध्यक्ष — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. युद्धालयमें के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा वाह्य सदस्य विस्तो उपचक्षता का मूल्यांकन अनुशीलित जातियों और अनुशीलित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	सारू नहीं होता।
			प्रो-न-ति:- 2650-65-3300-70-4000 रुपये के बेतनमान में जिसने उस श्रेणी में नियमित सेवा की हो या	पद ध्याण किए ऐसा ट्रैक इंजिनर (भारी गाड़ी / लकड़ी गाड़ी), आदे ट्रैक इंजिनर जिसने व्यवसाय परीक्षण में उत्तीर्ण होने के अध्ययनपत्र रखते हुए, चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और भारी गाड़ी के लिए चालन अनुज्ञाप्ति से धारक होना आवश्यक है।	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, विस्तो अन्तर्गतके-क्षेत्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के लिए पहले आरित किसी अन्य काढ़र पद-पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साथाणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18. द्रुक चालक (हल्का चालन)।	पद्धति (15) (आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साथारण केन्द्रीय सेक्सा, समूह 'ग' (कुशल)	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये।	अध्ययन।	लागू नहीं होता।	अनुच्छेद से सामर्थ्य वर्ष के बीच (सीधी भूति द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय सम्बिंदी को उत्तराखण्ड-सीमा शिथिला कर के पैतीस वर्ष तक की जा सकती है।	(i) किसी मानवता प्राप्त विधालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) तीर्ती। (ii) बोर्ड-चालन-चलाने का फाच वर्ष का अनुच्छेद। (iii) हल्के भौद्य-बाहन-बलाने के लिए अधेशित विभागीय चालन-अनुच्छेद। (iv) आठों मासालत का ज्ञान।

टिप्पणी:- अनुच्छेद संबंधी जाहिरता (जाहिराये) संबंधित विवेकानुलार अनुसिद्धि विभागीय भारत में अध्याधिकारी के विवेकानुलार अनुसिद्धि विभागीय भारत करने के लिए नियम को जातियों या जनजातियों के मामलों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियम को जातियों या जनजातियों के मामलों से अनुच्छेद तोरीख होगा। (न कि वह भैशिष्ट की जा सकती है) जब चालन की अनियम तोरीख जो असम, ये भारत, किसी प्रक्रिया में सेवा लोक सेवा अवधारणा या अरणांचल प्रदेश, गिरोरम, मणिशुर, नालालैड, श्रीगुरु, तिकिकम, जग्म, कस्मीर राज यह है कि उनके लिए अधेशित अनुच्छेद रखने वाले उन राज के लक्ष्य अपार्ड, हिमाचल प्रदेश के भाने के लिए अधेशित अनुच्छेद रखने वाले वे लालैलल और स्वेति विले तथा चत्ता विले समुदायों के पर्वत संघों वे का घोटा उपचाण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अध्याधिकारों के लिए विभित्ति की गई है। रोजगार कार्यालयों के माल्यम से को जाने वाली भूतीनियुक्ति को दरमा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तोरीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए अनुच्छेद यथा है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गये व्यक्तियों के लिए दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती होता।	सीधे प्रतिशत प्रेनटि द्वारा बिसक न हो सकने, पर ग्राहितनियुक्त द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती होती है।	प्रेनटि:- इक डाइवर जिन्हें इस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है विसके न हो सकने पर आदे इक डाइवर जिन्हें इस श्रेणी में तथा वलीर चालक श्रेणी में चुल छः वर्ष सेवा की हो, उनके व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन भारी मोहर चालन चलाने हेतु चालक अनुज्ञाति से युक्त होना आवश्यक है।	सहूँ 'ग' विधायीय प्रेनटि समिति जिसमें नियमित होने वाली नियमित सेवा की है।	लागू नहीं होता।

भाग II—खण्ड 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19. भारत ट्रक चालक।	कीस (20) (कार्बन्यार के आधार पर परिवहन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'च' (अर्थ-दृश्य)।	2650-65-3300-70-4000 रुपये।	अध्ययन।	लागू नहीं होता।	अद्यतात्र से सतार्हस वर्ष के बीच अनिवार्यः— (सीधी भूमि द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्ययिकों को उच्च आयु सेवा शिक्षित कर के ऐतीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसन्धित जातियों और भारत अनुसन्धित जातियों की दशा में पांच वर्ष और लिखित की जा सकती है।)	भिस्ती मानवता प्राप्त विद्यालय (10वीं कक्षा) उपर्याप्त। भौतिक (10वीं कक्षा) उपर्याप्त। (i) मोटर वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुमति। (ii) मोटर-बाहन चलाने का अनुमति चालन अनुमति से शरक है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए व्यक्तियों के लिए	सौ प्रतिशत प्रीनेंटि द्वारा जिसके न हो सकने पर मैं प्रतिनियुक्ति दी वर्ष। छरा, दोनों के न हो सकने में सीधे भर्ती होता।	प्रीनेंटि:- 2610-60-3150-3540 रुपये के बेतनमान में ऐसा बलीन छरावर जिह्वेने इस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो या श्रमिक बिहूने व्यावसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्ययन रहते हुए उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, चालन अनुचित से धारक होना आवश्यक है।	समृङ् 'ग' विभागीय प्रोनेंटि समिति जिसमें नियमित्युक्ति होगी: लागू नहीं होता।	

प्रतिनियुक्ति:-
केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है)
के ऐसे अधिकारी:

(क) आठे टक्के डाइवर के पद पर रुपये
2650-65-3300-70-4000 के बेतनमान में नियमित सेवा
समित पद धरण किए हों।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार
के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के
ठीक पहले घासित किसी अन्य काड़ेर पद पर प्रतिनियुक्ति की
अवधि है, साथारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

1. भारत सरकार मुख्यालय के
महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाक्षक — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग
का ऐसा बाह्य सदस्य विसकी उपयुक्तता का
मूल्यांकन अनुशीलन चालियाँ और अनुशीलन
जागतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया
जाना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20. दसीनार इश्वर।	तीन (3) (कार्यपाल के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'च' (अर्थ-कुशल)	2610-60- 3150-70- 3540 रुपये।	बचपन।	लागू नहीं होता।	अवस्थाएँ से सताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को उच्च अमु सीमा शिक्षित कर के पैतिस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसृष्टि आतिरीं और अनुसृष्टि जनजातियों को दरा में पांच वर्ष और शिक्षित की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से भैरविकाल (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण की हो। (ii) समूचे हैरिकल में तीन वर्ष का अध्यव्यव (iii) नोटर-यार्न को बदलाने का अधिकार चाहन अनुबंधि धारक होना चाहिए।

टिप्पणी:- अमु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अधिर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई जातियों या जनजातियों के अधिकारियों के बामलों अनितम तारीख होगी। (न कि वह अनितम में शिक्षित की जा सकती है।) जब चयन तारीख जो असम, मेघालय, असामाञ्चल की किसी प्रक्रिया में संघ सोसां अलोग प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, या कर्मचारी चयन आयोग या सक्रम ग्रामिकारी सिविलिकाम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख की राय यह है कि उनके लिए अधिकार निकियों खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मीति को भरने के लिए अधिकार अनुभव रखने वाले चिले तथा चान्ना जिले का पांगी उमखाड, उन समुदायों के अधिकारियों के पाचात संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अधिर्थियों के लिए विविहत की गई है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दरा में, अमु सोना अवधारित के लिए निर्णयक तारीख वह अनितम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	लागू नहीं होता।	समृद्ध 'ग' विभागीय प्रोनेन्टि समिति में निम्नलिखित होंगी:	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1. भारत सरकार मुद्रालाय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भागीसाथक — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
4. मुद्रणालय के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा व्याप्र सदस्य विषयकी उपचुक्रता का मूल्यांकन अनुसिच्छ जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के हितों को छान में रखते हुए किया जाना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21. अध्येता कलाकार।	बाहर (12) (कार्यभाग के लिए आशार पर परिवर्तन किया जा सकता है) :	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कलानीकों परिवेश)	5500-175-9000 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	(i) लाइट कला या चाणिक कला या ग्राफिक डिजाइन में स्नातक के साथ बनाने का दो वर्ष का अनुभव या विभिन्न कृति डिजाइन, रेखांचित्र अधिकारी को उच्च आयु सेवा शिक्षण कर के पैतोस वर्ष तक की जो सकती है। अनुशृद्धि जातियों को दशा (ii) लाइट कला या चाणिक कला में डिप्लोमा के साथ चाणिक डिजाइन, में पच वर्ष की और शिथलन की जो सकती है।	(i) लाइट कला या चाणिक कला या ग्राफिक डिजाइन विभाग से सताइर्स वर्ष के बीच (सभी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए एसीएस विभिन्न कृति डिजाइन, रेखांचित्र अधिकारी को उच्च आयु सेवा शिक्षण कर के पैतोस वर्ष तक की जो सकती है। अनुशृद्धि जातियों और अनुशृद्धि जनजातियों को दशा (ii) लाइट कला या चाणिक कला में डिप्लोमा के साथ चाणिक डिजाइन, अधिकारीस बनाने का तीन वर्ष का अनुभव विभाग परिषण में अहता।

टिप्पणः— आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियमांक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियम को गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, देशात्म, दिल्ली, असमी अहिला (अहिलाये) संबंधी अनुष्ठान राज्यों अरुणांचल प्रदेश, घिजोरप, मणिपुर, केंद्र आयोग या संघम नागांड, निपुण, प्रिविकम, जम्मू कश्मीर, राज्य के लदाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पाली उपज्ञान, अंडमान एवं निकोबार द्वारा लक्ष्यद्वीप के अध्यर्थियों के लिए या संघम प्राविकारी को यह है कि उनके लिए नियम को गई है।) रोजगार करानालाली के अधिकारियों को भरने के लिए अमेलिं अनुभव माध्यम से कोई जाने आली भर्ती नियुक्ति को रखने वाले उन समुदायों के अस्थाईयों के द्वारा में, आयु सीमा अवधारित के लिए, संख्या में उपलब्ध होते की समझन नहीं है।

के लिए, कहा गया है:

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सेधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत प्रो-नियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा. (ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रो-नियुक्ति द्वारा।	प्रो-नियुक्ति:- 5000-150-8000 रुपये के बेतनमान में ऐसे कनिष्ठ कलाकार जिहवाने उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अहंता प्राप्त करने के अध्ययनधन रहते हुए, पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।	समृद्ध 'ग' विभागीय प्रो-नियुक्ति समिति जिसमें निम्नलिखित होगी: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के भारतप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतप्रबन्धक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रगासन) — सदस्य 4. युवणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा वाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार
के उसी या किसी अन्य संसाधन/विभाग में इस नियुक्ति के
ठीक पहले थारित किसी अन्य काडर पद पर ग्राति-नियुक्ति
की अवधि है, साथरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
22. कनिष्ठ कलाकार।	अद्वाह (18)	साधारण केंद्रीय संस्कृत, समूह 'ग' (भास्टर कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय संस्कृत, समूह 'ग' (भास्टर कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	5500-175- 9000 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	(i) लालित कला या वाणिज्यिक कला या (सीधी भूती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च आय से मान शिथल करा के अंतीम वर्षतक की जा सकती है अनुशृद्धि जातियों और अनुशृद्धि जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की ओर शिथलन की जा सकती है।	(i) अद्वाह से सलाइस वर्ष के बीच (सीधी भूती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय ग्राफिक डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव या डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव या ग्राफिक डिजाइन तैयार करने का दो वर्ष का अनुभव तथा

- टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निणायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होती है। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, यैजातीय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, चिप्रा, तिबिक्यम, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले का पांची उद्याहण, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्मणीय के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भूती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निणायक तारीख वह अंतिम तारीख होती है जिस तक रोजार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- (ii) लालित कला या वाणिज्यिक कला अभ्यर्थियों को उच्च आय से मान शिथल करने के अंतीम वर्षतक की जा सकती है अनुशृद्धि जातियों और अनुशृद्धि जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की ओर शिथलन की जा सकती है।
- (iii) एक क्षेत्रीय भाषा विषम कार्य किया जाना है तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी का कार्यालयक ज्ञान।
- (iv) व्यावसाय परीक्षण में अहत।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सोधे भर्ती किए और अंगत नहीं भर्ती द्वारा एप्लीकेशनों के समक्ष अपावृत होता है। इसके बाहर के लिए दो बर्ष।	प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय साकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:	(क) ऐसा कानिडुकलाकार जो 5000-15/-8060 रुपये को श्रेणी में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संस्थान/विभाग में इस नियुक्ति के तौर पर भले ध्याति किसी अन्य कार्ड पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साथराणत्या तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।)	समृद्धि गवर्नरीय ग्रान्टिंग समिति जिसमें नियमित व्यापार तथा नहीं होता।	समृद्धि गवर्नरीय ग्रान्टिंग समिति जिसमें नियमित व्यापार तथा नहीं होता।

1. भारत सरकार मुद्रागत्य के
महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपनन्यक/कार्यालय का भारतप्रबन्ध — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रगासन) — सदस्य
4. मुद्रागत्य के कार्य का जानकारी दिया विभाग का
ऐसा वाहन सदस्य विभाग को उपयुक्ता का मतदान करना
अनुशीलन जारीतीय और अनुशीलन जारीतीय के
हितों को अन्यत ये रखते हुए किया जाता है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23. कलाकार (अनुशोधक) :	इत्वरीस (31)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (तकनीकी परिवर्तन किया जा सकता है)	5500-175-9000 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	अद्वारा से सलाइस वर्ष के बीच (सीधी भूर्ता द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्यार्थियों को उच्च आयु सीमा शिथल कर के मैट्रिस वर्ष तक की जा सकती है अनुशोधित चारियों और अनुशोधित अन्यायियों की दशा में पांच वर्ष की ओर शिथल की जा सकती है।)	<p>(i) किसी पान्तवा ग्राम विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रैद्योगिकी में दियी के साथ दो वर्ष का अनुबंध या</p> <p>(ii) मान्यता प्राप्त मुद्रण संस्थान से मुद्रण प्रैद्योगिकी (आफसेट) में डिस्ट्रोमा तथा किसी छाति ग्राम आफसेट प्रतिष्ठान में स्कॉलिंग, योजना एवं अनुशोधक का तीन वर्ष का अनुबंध।</p>

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निणायक तारीख भारत में अध्यार्थियों से अवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अनियम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, निकुर्ज, सिक्किम, चम्प, कश्मीर, राज्य के लदाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थानीय विले तथा बस्ता विले का पांची उत्तराखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लालिहाप के अध्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम नाम भेजने के लिए कहा गया है।

टिप्पणी:-अनुशब्द संबंधी अर्हता (अहिताये) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुतार अनुशोधित जातियों या जनजातियों के अध्यार्थियों के मामलों में शिथल की जा सकती है (है)। चयन को किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की दशा यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुशब्द रखने वाले उन समुदायों के अध्यार्थियों के प्रयाप्त संख्या में उपराख्य होने की समावेश नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(i) प्रवास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रो-नन्टि द्वारा, अनुशोधक कलाकार जिन्हें उस श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अर्हता के अनुयोधन रहते हुए, पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) प्रवास प्रतिशत प्रो-नन्टि द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>प्रौढ़नीति:- केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) ऐसा अनुशोधक कलाकार जो 5500-175-9000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हो, या (ख) ऐसा सहायक अनुशोधक कलाकार जिसने वेतनमान 5000-150-8000 रुपये की श्रेणी में व्यावसाय परीक्षण में अर्हता के अनुयोधन रहते हुए पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p>	<p>सदूँ 'ग' विधायी प्रो-नन्टि समिति जिसमें नियमितिका होने:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारत सरकार भूषणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य मुद्रणालय के कार्य का जानकार किसी विभाग का बाह्य सरकारी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुशूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले ध्यात किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24. सदाचक कलाकार (अनुओष्ठक) ।	ब्राह्मोत्तम (42) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेला, समूह 'ग' (माल्टी क्राइमसेन)	5000-150- 8000 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	अनुशासन से सत्ताईस वर्ष के बीच (सोधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय आमर्थियों की उच्च आयु सीमा शिथित कर के पैतोस वर्ष तक की जा सकती है। अनुशृण्वित आदियों और अनुसृचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष की ओर शिथितन की जा सकती है।)	(i) किसी मानव प्रात विकल्पालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ एक वर्ष का अनुशव्वय या (ii) मानव प्रात सुदूर संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी (आफसेट) में डिलोमा या समतुल्य और कैफियती छाति प्राप्त फोटोलिथो स्थापन में स्वेच्छन, योजना एवं अनुशोधन का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अभ्याधियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई विषय:- अनुशव्वय संबंधी अर्हता (अर्हतार्थ) संबंध लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग अनिम तारीख होती है। (न कि वह अनिम या सकूम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुशृण्व तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोग, मणिपुर, नागार्हाँड़, त्रिपुरा, सिंचिकम, काम्पू, कर्खमीर गाँग के लदाख जिले तथा चम्बा जिले का पांची उपखण्ड, खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का प्रक्रिया में संबंधित सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्याधियों के लिए आवधित रिक्तियों को भरने के लिए अनुशृण्वय के लिए विहित की गई है।)। अभियंत अनुशव्वय रखने वाले उन सम्बद्धों के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णयक तारीख वह अनिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	संधि भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत सीधी जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के एस अधिकारी:	(क) 5000-150-8000 रुपये के बेतनमान में नियमित सेवा चाहिए ऐसा सहायक अनुशासक जिसने कलाकार का पद भारण किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रेनटि समिति जिसमें नियमित विभिन्न लागू नहीं होता।	
			(प्रतिनियुक्ति को अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काड पद पर प्रति-नियुक्ति को अवधि है, साथरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होती।)	समूह 'ग' विभागीय प्रेनटि समिति जिसमें नियमित विभिन्न लागू नहीं होता।	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25. कैमरा मैन।	उन्नीस (29) (कार्यभार के अधार पर फरिदन किया जा सकता है)।	साथारा सेवा, ये (अति कुशल श्रेणी-II)	4500-125- 7000 रुपये।	अचयन।	लागू, नहीं होता।	अद्वारह से सताईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए विभाग अधिकारी को उच्च आयु सेपा शिखिल कर के पैसीस वर्ष तक की जा सकती है। अनुशिष्ट जातियों और अनुशिष्ट अन्यायों की दशा में पांच वर्ष और शिखिल की जा सकती है।)	(i) किसी मानवता प्राप्त संस्था से मुद्रा प्रेतोगिकी में डिलोप। (ii) प्रोसेस कैमरा के सचालन का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:- आयु सेपा अवधिकारी करने के लिए निण्यक तारीख भारत में अधिकारी से अवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तम तारीख होगी। (न कि वह अन्तम तारीख जो असम, मेघालय, असामांचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, निम्नाखिकाम, झाम्फू, कश्मीर राज्य के लाहाल खाड़, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्त्रिति निले तथा चम्बा जिले का पांच उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्मणद्वीप के अधिकारी के लिए विलित की गई हैं।) अधिकारी के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सेपा अवधिकारी के लिए निण्यक तारीख वह अंतम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत प्रो-नति द्वारा जिसके न हो, सकने पर संधी भर्ती द्वारा, (ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिशुद्धित द्वारा।	प्रो-नति:- 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसा डाकर्त्तम् सहायक जिसने उस शेषी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या ऐसा ऑफसेट लेट मेकर जिसने उस शेषी में ब्लॉकसेव परिक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्ययनमें रहते हुए पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	साफू 'ग' विधायीय प्रेन-ति समिति जिसमें नियुक्ति होती है: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के प्रबन्धनक/प्रबन्धक 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रागत्यां के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बहुम सदस्य जिसकी उपयुक्तता का जनजीवियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

(प्रतिशुद्धिका की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार
के उसी या किसी अन्य संघठन/विभाग में इस नियुक्ति के
ठीक पहले घारित किसी अन्य काऊप.पद.प्रति-नियुक्ति
की अवधि है, साथरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26. डाकेन्द्रन असिस्टेंट।	लोस (30) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल श्रेणी-III) अपरबलियाँ।	4000-100- 6000 रुपये।	अवधान।	लागू नहीं होता।	उद्यापर से समर्थन वर्ष के बोध्य (सीधी भूति द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यार्थियों को उच्च अवृत्ति में डिग्रीमा। के ऐतिहास वर्ष तक को जा सकती है। (अनुशूलित जातिवैदी और अनुशूलित उद्यापातियों की द्वारा में पंचव वर्ष और शिखिल को जा सकती है।)	अनिवार्यः— (i) विकसी मानवता प्राप्त संस्था से युद्ध प्रौद्योगिकी में डिग्रीमा। (ii) प्रोफेस कैम्पस के प्रवालन का दो वर्ष का अनुब्रव।

टिप्पणीः— अनुप्रव संस्कृती अखिला (अखिलां) सम्बन्धी आवासी के बंधितों जनन आवोना लोक सेवा आवास आवासी के बंधितों जनन आवोना या सम्बन्ध ग्रामिकों के विवेकनुसार अनुशूलित ज्ञातियों या जनजातियों के अभ्यार्थियों के अभ्यार्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियम को में शिखिल की जा सकती है (ई) उच्च जनन में शिखिल प्रक्रिया में संबंध लोक सेवा आवोना की किसी प्रक्रिया में संबंध लोक सेवा आवोना या कर्मचारी जनन आवेदन या साइम प्राधिकारी गई अनिम तारीख होगी। (न कि वह अनिम प्रदेश, मिथोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, चम्म, कर्मीर गाझ के लादाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पृहि वित्ते तथा चम्बा जिते का फांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लद्दाखीप के अभ्यार्थियों के लिए विभिन्न की गई है)। रोजगार कार्यालयों के भाग्यम से की जने वाली भर्ती नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए नियापक तारीख वह अधिक लगभग होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपोस्टर के सिवाएँ जिसके लिए भर्ती किए अधिकतम सीमा अमेलन के लिए दो वर्ष। नहीं है, रक्षणान्तरित या अमर्तित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा पैतलीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहां पैतलीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहां आयु सीमा शिक्षित कल्पनास (50) वर्ष तक की जा सकती है।	अन्य मुद्रणालयों से अमेलन द्वारा सौ प्रतिशत जिसके न हो सकते पर सीधे भर्ती द्वारा।	आमेलन:- रोडर, कम्पोजिटर-श्रृणी-। छह महीने का प्रशिक्षण सफलतावृक्ष पूरा करने और व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने को शांदे अध्ययन रहते हुए अमेलन द्वारा।	समूह 'ग' विधायिक प्रेनटि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा वाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुशीलित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को झान में रखते हुए किया जाना है।	समूह 'ग' विधायिक प्रेनटि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27. ऑफिसर स्टेट सेक्टर।	स्तरहर (77) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साथराण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल श्रेणी-1)	4000-100- 6000 रुपये।	अच्छन।	लाए नहीं होता।	अद्वाह से सलाइस बर्ब के बीच (भौमी भर्ती नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी को उच्च आयु सेवा सिद्धित कर के ऐतीस बर्ब तक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पांच बर्ब और शिखल को जा सकती है।)	(i) किसी मानवता प्राप्त मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी (आपस्ट) में विलोम। या टिप्पणः— आयु सेवा अवधारित करने के लिए निणियक तारीख भारत में अधिकारी से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह आन्तम तारीख जो असम, नेशालन, अलणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, तिकिकम, झम्मू करवार राज्य के लदाक खाड़, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिसे तथा चम्बा जिले का पारी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्मणीप के अधिकारी के विहित को गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती नियुक्ति की दशा में, आयु सेवा अवधारित के लिए निणियक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(ii) किसी मानवता प्राप्त मुद्रण प्रौद्योगिकी
से मेट्रिक्युलेशन (दस्ती कक्षा) या
सम्पुल्य, दस्तान विज्ञान विषय के साथ
उत्तरीण करने वाले अधिकारी को
आयमानता दी जाएगी।

(iii) किसी मानवता प्राप्त मुद्रण प्रौद्योगिकी
संस्थान से मुद्रण प्रौद्योगिकी (आपस्ट)
में विलोम।

टिप्पणः—अनुभव संबंधी अर्थात् (अस्तित्वे)

से नियुक्त सेवा आयोग या कर्मचारी व्यवन

(1961 का 52) के अधीन शिक्षु

सम्बलता उर्वक पूरी करने के प्रमाणपत्र

संस्थित प्लेट मेकिंग में तीन बर्ब का

व्यवहारिक अनुभव।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपरेटर के सिवाएं चिक्सके लिए कई अधिकतम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमलित व्यक्तियों के लिए अन्य सीमा पैतालीस (45) में जहां पैतालीस (45) कर्व तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहां आयु पचास (50) कर्व तक की	सीधे भूती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमलित व्यक्तियों के लिए अन्य सीमा पैतालीस (45)	सी प्रतिशत आमेलन द्वारा बिसके न हो सकने पर- (i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,	सी प्रतिशत सीधी भूती द्वारा बिसके न हो सकने पर प्रोन्नति है:-	आमेलन:- ऐसे जीरोक्स प्रचालक, कम्पोजिट श्रेणी-I, लैटरप्रेस मशीनमें छह मास का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात तथा व्यवसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की शर्त के अध्ययनीन रहते हुए आमेलन होगा। (ii) पचास प्रतिशत सीधी भूती द्वारा बिसके न हो सकने पर प्रोन्नति है:-	समृद्ध 'ग' विधायीय प्रोन्नति सीमित जिसमें नियन्त्रित लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28. सहायक चैकीस (24)	साधारण कैन्सिय सेवा, समूह 'ग' (कार्बनर के आधार पर (ऑफसेट)।	चैकीस (24) (कार्बनर के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण कैन्सिय सेवा, समूह 'ग' (कुशल)	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये।	अध्ययन।	लगा नहीं होता। लगा नहीं होता।	<p>अद्यतन से सर्वार्थ व्यवस्था के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्ययनों को उच्च आयु सीमा शिक्षित कर के ऐतिहासिक तरफ की जा सकती है। अनुचित जातियों और अनुशुल्क जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिखित की जा सकती है।)</p> <p>स्टेट मैटिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र साथ ही तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियन्त्रित तारीख भारत में अध्ययनों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अनियम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, कर्नाटक राज्य के लालाल खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लालोल और स्मीति जिले तथा चाक्का जिले का पांची उपखण्ड, अंडमान एवं निकोंबर द्वीप या लालडीप के अध्ययनों के लिए नियित की गई है)।</p> <p>रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए नियन्त्रित तारीख वह अनियम तारीख होगी जिस तरकी रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए करा गया है।</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपरेटर के स्थिताएँ बिसके लिए कोई अधिकतम सीमा अंगेश्वित नहीं है, स्थानान्तरित या अमेलित छाकितयों के लिए आयु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित छाकित उपलब्ध नहीं हैं वहाँ आयु सीमा शिथल करके फचास (50) वर्षतक की जा सकती है।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा बिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	आमेलन:- ऐसे कम्पोजिट श्रेणी-II, डिस्ट्रीब्यू, मरीन मुद्रणक (लैटरेस), मोनो कास्टर औपरेटर, सिलेन्डर प्रूफ व्रेस-मैन, प्रूफमैन श्रेणी-1 जो कह मास के सफल प्रशिक्षण तथा व्यावसाय परीक्षण में अंहित प्राप्त की हो।	समूह 'ग' विधायीय प्रोन्ति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. भारत सरकार मुद्रणालय के प्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपब्रबन्धक/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालय के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुशीलित जातियों और अनुषीलित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29. डेस्क टॉप प्रबलक परिवर्तिता:	दो सौ अक्षर (218) प्रबलक	दो सौ अक्षर (218) प्रबलक	साथारा के द्वाय सेवा, समूह 'ग' (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। आपरेटर/को बोर्ड प्रबलक परिवर्तिता:	4500-125-7000 रुपये।	अचयन।	लाभ नहीं होता। अद्वारह से साराइस वर्क के बोर्ड (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विवरण अन्याधिकृतों कर्त्ता उच्च, आप सेवा विविक्त कर के वैरीस वर्कर को जा सकती है। अनुष्ठित कालियों और अनुसिख जनजातियों की दशा में गांध वर्क विविक्त करो जा सकती है।)	(i) काम्प्लिक्रेशन में तीव्र वर्ष के अनुभव के साथ पुण ग्रीष्मोगिकी में डिवरेस। (ii) हिन्दी व ओडीया में देवग का अनुभव।

टिप्पणी:- अपु सीमा अवधारित करने के लिए निण्याधिकृत लोकों आत्म में अन्याधिकृतों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अनिवार्यता होती है। (न कि वह अनिवार्यता और असम, देवगढ़, अलगावल प्रदेश, मिहारम, मणिपुर, नागार्जुन, त्रिपुरा, निष्क्रियम, जम्मू, कश्मीर राज्य के लोकान् घाट, हिमाचल प्रदेश के लोहोल और स्मोति जिसे तथा चम्बा जिले का पांची उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वाय या लक्ष्मणीप के अन्याधिकृतों के लिए विवित की गई है।) रोक्कार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आप सीमा अवधारित के लिए नियायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोक्कार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए काला गामा है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपरेटर के सिवाएं जिसके लिए कोई अधिकातम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या आमेलन व्यक्तियों के लिए अयु सीमा ऐतालीस (45) वर्ष तथा ऐतालीस (45) में जहां ऐतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। सीमा ऐतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधे प्रतिशत आमेलन द्वारा बिपक्के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सभू 'ग' विधायीय ब्रेननाति समिति जिसमें निम्नररिति समझौते होते हैं:	सभू 'ग' विधायीय ब्रेननाति समिति जिसमें निम्नररिति होता है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30.	ऑफसेट परीनमेन।	दो सौ सप्तसठ (267) (कार्यभार के आधार पर परिकल्पना किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृद्ध 'ग' (मास्टर आधार पर आजपनि, अनुसन्धानीय चर्चा आयोग या कर्मचारी द्वारा नवीकृत करने के लिए विभागीय अधिकारी को उच्च आयु सेवा शिक्षित करने के ऐतिहासिक वर्ष की जा सकती है। अनुसन्धानीय चर्चा और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिक्षित की जा सकती है।)	4500-125-7000 "रप्ये।	अध्ययन।	लागू नहीं होता।	अद्वारह से सताईस वर्ष के बीच (जोधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी को उच्च आयु सेवा शिक्षित करने के ऐतिहासिक वर्ष की जा सकती है। अनुसूचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष का अनुभव।

अनिवार्य:-
 (i) किसी भाव्यता प्राप्त संस्था से पुद्दण प्रोटोकॉल (ऑफसेट) में छिलेखा।
 (ii) एकल और विविधरंग कार्य करने में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:-अनुभव संबंधी अर्द्धा (अहिताये)
 संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी द्वारा आयोग या साक्षम प्राधिकारी के विवेकनुसार अनुमूलित जातियों या जनजातियों के अधिकारी के मामलों में शिक्षित की जा सकती है (है) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी द्वारा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की रप्य यह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अंगेशित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अधिकारी के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विधान आमरेट के सिवाएं जिसने लिए कोई अधिकारम सीमा अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या अनेकित ल्याकियों के लिए आयु सीमा प्रतिशत (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणालय में जहाँ प्रतिशत (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित ल्यकित उल्लब्ध नहीं है वहाँ आयु सीमा शाखित करके प्रतिशत (50) वर्षतक की जा सकती है।	भर्ती किए गए अपेक्षित लिए दो वर्ष।	सी प्रतिशत आमेलन द्वारा विसके न हो सकने पर,	ऐसा लैचर प्रैस का सेवन होल्डर. (मशीन) या मशीन भैन, मशीन भैन (रेस्टो), दर्इम चैकर (मशीन) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और व्यवसाय परीक्षण में अहता प्राप्त करने के अधीन रहे हुए, ऑफसेट शिटिंग मशीन के प्रचलन में छह मास के सफल प्रशिक्षण को प्राप्त किया है।	ऐसा लैचर प्रैस का सेवन होल्डर. (मशीन) या मशीन भैन, मशीन भैन (रेस्टो), दर्इम चैकर (मशीन) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और व्यवसाय परीक्षण में अहता प्राप्त करने के अधीन रहे हुए, ऑफसेट शिटिंग मशीन के प्रचलन में छह मास के सफल प्रशिक्षण को प्राप्त किया है।	'मृदू' ग' विधानीय प्रेसन्ति समिति जिसमें नियमित लाए नहीं होता।

आप्नेतन:-

मृदू' ग' विधानीय प्रेसन्ति समिति जिसमें नियमित होंगे:

1. भारत सरकार मुद्रणालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारताधिक — सदस्य
 3. महायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य
 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार किसी उपयुक्तता का का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुप्रिवित जारियाँ और अनुसन्धित जानबातों के हितों की व्यान में रखते हुए किया जाना है।
- प्रेसन्ति:-
- 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसा ऑफसेट मशीन सरकार जिसने उस श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण में अहता प्राप्त करने के अन्यथाधीन रहते हुए, पांच वर्ष की नियमित सेवा को ही, जिसके न हो सकने पर ऑफसेट मशीन सरकार जिसने उस श्रेणी में व्यवसाय परीक्षण में अहता प्राप्त करने के अन्यथाधीन रहते हुए तथा ऑफसेट श्रेणी में तेरह वर्ष की व्यवसाय परीक्षण में अहता प्राप्त करने पर दोनों ऑफसेट मशीन परिचार उस श्रेणी में तेरह वर्ष की व्यवसाय परीक्षण में अहता प्राप्त करने के अन्यथाधीन रहते हुए।
- प्रतिशिक्षित:-
- भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के ऑफसेट मशीनें जिसके न हो सकने पर भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों के महायक ऑफसेट मशीनें, उस श्रेणी में सात वर्ष को नियमित सेवा की हो।
- (प्रतिशिक्षित की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पर प्रति-नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31. ऑफसेट मशीन सहायक।	दो सौ पचास (255) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृद्ध 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-1) अनुसन्धानविद्या।	4000-100-6000 रुपये।	अवधान ।	लगान नहीं होता।	अद्वाह से सताईस वर्ष के बीच (सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अस्थार्थियों को उच्च अयु सीमा विधित कर के पैतोस वर्ष तक को जा सकती है। अनुसृचित जातियों और अनुसृचित जनजातियों को दशा में पांच वर्ष और विधित की जा सकती है।)	<p>(i) किसी मानवादी संस्था से मुद्रा प्रौद्योगिकी (आफसेट) में डिपोजी।</p> <p>(ii) एकल और विविध जबाबों के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग सर्वेन पर तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव।</p> <p>टिप्पणः—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताये) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकनुसार अनुसृचित जातियों या जनजातियों के अस्थार्थियों के मामलों में शिथित की जा सकती है (हे) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी को गय यह है कि उनके लिए आरक्षित शिक्षिकाओं को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने जाते उन समुदायों के अस्थार्थियों के पदाव संख्या में उपलब्ध होने की समझावना नहीं है।</p> <p>टिप्पणः—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निणायक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अनिम तारीख होगी। (न कि वह अनिम तारीख जो असम, मेघालय, अण्णांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लदाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का यानी उपर्खण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लाल्हाद्वीप के अध्यर्थियों के लिए विविह की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दरा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निणायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31. अोफसेट मशीन सहायक।	दो सौ पचपन (255) (कार्बिनर के आधार पर अपर्वर्तन किया जा सकता है)।	साथारण केन्द्रीय संचालन, समूह 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-1)	4000-100-6000 रुपये।	अन्वयन।	लागू-नहीं होता। लागू-नहीं होता।	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रोटोटाइपों (ऑफसेट) में डिलाया। एकल और विविध जांचों के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन पर तोन वर्ष कार्य करने का अनुभव।	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रोटोटाइपों (ऑफसेट) में डिलाया। एकल और विविध जांचों के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन पर तोन वर्ष कार्य करने का अनुभव।

टिप्पणी:- अनुभव संबंधी अहंता (अहंताद्वय) संबंधी सेवा आवेदन/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसृति जातियों या जनजातियों के अन्यथियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (है)। जब चयन को किसी प्रक्रिया में संबंधी सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की राय यह है कि उनके लिए अप्रियता रिविल्यू को भरने के लिए अप्रियता अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अधिकारी चयन संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियन्यक तारीख भारत में अध्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोराम, मणिपुर, नागार्हेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पर्वती उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लद्दाखीप के अध्यर्थियों के लिए विहित को गई है)। रोजगार कार्यालयों के मामूल में को जाने वाली भर्ती/नियुक्ति को दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नम्म भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपरेटर के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, अधिकतम सीमा के लिए दो वर्ष। अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या अभेदित व्यक्तियों के लिए आपु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणात्मक में जहां पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उगलत्वनहीं है वहां आयु सीमा शिथित करके पचास (50) वर्ष तक को जानकी है।	सीधे प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके प्रोन्टिः- सिवाए जिसके लिए कोई अधिकतम सीमा के लिए दो वर्ष। अपेक्षित नहीं है, स्थानान्तरित या अभेदित व्यक्तियों के लिए आपु सीमा पैतालीस (45) वर्ष तथा ऐसे मुद्रणात्मक में जहां पैतालीस (45) वर्ष तक आयु के स्थानान्तरित व्यक्ति उगलत्वनहीं है वहां आयु सीमा शिथित करके पचास (50) वर्ष तक को जानकी है।	प्रोन्टिः- (i) पचास प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके लिए दो वर्ष। अफसेट मशीन परिचर जिसने व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्ययनेन आठ वर्ष को नियमित सेवा की है। (ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्टिः- ऐसा लेटर प्रेस मशीन सहायक जिसने व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्ययनेन आमेलन मुद्रण प्रचालन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के पश्चात् उस श्रेणी में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पणः- शिक्षियों को पहले उसी मुद्रणात्मक से आमेलन द्वारा भर्ता जाना है तत्पश्चात् भारत सरकार के अन्य मुद्रणात्मक से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।	प्रोन्टिः- 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसा अफसेट मशीन परिचर जिसने व्यवसाय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अध्ययनेन आठ वर्ष को नियमित सेवा की है। आमेलन:- ऐसा लेटर प्रेस मशीन सहायक जिसने व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्ययनेन आमेलन मुद्रण प्रचालन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के पश्चात् उस श्रेणी में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। आमेलन:- ऐसा लेटर प्रेस मशीन सहायक जिसके कानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसको उपयुक्ता का मूल्यांकन अनुशृच्छत जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	समृद्ध 'ग' विभागीय प्रेन्टिः जिसमें नियमित व्यवसाय परीक्षण होता। होगी: 1. भारत सरकार मुद्रणात्मक के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अधिक 2. उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणात्मक के कानकार का जनकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसको उपयुक्ता का मूल्यांकन अनुशृच्छत जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। प्रतिनिधिकों:- के द्वारा जानकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी सम्पर्कित है) के ऐसे अधिकारी: (क) जो 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में आफसेट मशीन सहायक का पद व्यवसाय परीक्षण में अर्हता के अध्ययनेन नियमित आधार पर पद धारण किए हो। (प्रतिनिधिकों को अधिक, जिसके अन्तर्गत कोन्दीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रति-नियुक्ति को अवधि है, साथराणताया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	सार्वजनिक होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32. ऑफसेट मशीन परिचार।	तीन सौ उन्नीस (329)	साथारण के दर्जे सेवा, समूह 'ग' (कुशल श्रेणी-1)	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये।	अचयन।	लागू नहीं होता।	<p>अद्वारा से सताईस वर्ष के बीच (सीधो भरती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अध्याधिकारी को उच्च आयु सेवा प्रियोग कर के ऐतिस वर्ष तक की जा सकती है। अद्विचित जातियों और अद्विचित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियन्त्रित तारीख भारत में अध्याधिकारी से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख छण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्त्रीति जिले तथा चक्का जिले का पांची उपखण्ड, अड्डान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्मदीप के अध्याधिकारी के लिए विहित की गई है)। राजगार कार्यालयों के माध्यम से को जाने वाली भूती/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए नियन्त्रित तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>(i) किसी मानवता प्राप्त विद्यालय या छोड़ से मैट्रिक्युलेशन या समतुल्य ऑफसेट प्रियोग स्टेट भेडिंग के ब्यक्तियाँ में शिख अधिकारियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिखो पूरी करने का प्रमाण पत्र।</p> <p>(ii) किसी भ्यातिप्राप्त युद्धालय में ऑफसेट मरीन पर कार्य करने का तोन वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iii) किसी भ्यातिप्राप्त युद्धालय में ऑफसेट मरीन पर कार्य करने का तोन वर्ष का अनुभव।</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
विद्यमान आपरेटर के सिवाय जिसके लिए कई अधिकारतम् सीमा अधिकारी के लिए दो वर्ष।	सीधे फर्मी किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सौ प्रतिशत आमेलन द्वारा विसर्क के लिए दो वर्ष।	एसा मानो कारस्ट आपरेट थारुगालक, प्रेस प्रूफ मैन श्रेणी-1, सिलेन्ट प्रूफ प्रैस मैन, कॉम्पोजिट श्रेणी-1, डिस्ट्रीब्यूटर, मशीनर्मेन श्रेणी-1। लैटर प्रैस), मशीन असिस्टेंट (लैटर प्रैस) स्टर्टिंगो वेइपर और मशीन अंडेल्टर (लैटर प्रैस) श्रेणी में ऑफसेट प्रोडाक्शनिंगी में छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ की हो।	एसा मानो कारस्ट आपरेट थारुगालक, प्रेस प्रूफ मैन श्रेणी-1, सिलेन्ट प्रूफ प्रैस मैन, कॉम्पोजिट श्रेणी-1, डिस्ट्रीब्यूटर, मशीनर्मेन श्रेणी-1। लैटर प्रैस), मशीन असिस्टेंट (लैटर प्रैस) स्टर्टिंगो वेइपर और मशीन अंडेल्टर (लैटर प्रैस) श्रेणी में ऑफसेट प्रोडाक्शनिंगी में छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ की हो।	समूह 'ग' विभागीय ब्रेन-नियमित जिसमें नियमिति लागू नहीं होता। होने:-	समूह 'ग' विभागीय ब्रेन-नियमित जिसमें नियमिति लागू नहीं होता।

आमेलन:-
 एसा मानो कारस्ट आपरेट थारुगालक, प्रेस प्रूफ मैन श्रेणी-1, सिलेन्ट प्रूफ प्रैस मैन, कॉम्पोजिट श्रेणी-1, डिस्ट्रीब्यूटर, मशीनर्मेन श्रेणी-1। लैटर प्रैस), मशीन असिस्टेंट (लैटर प्रैस) स्टर्टिंगो वेइपर और मशीन अंडेल्टर (लैटर प्रैस) श्रेणी में ऑफसेट प्रोडाक्शनिंगी में छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ की हो।

प्रो-नियमिति:-
 2550-55-60-3200 रुपये के बेतनमान में ऐसा श्रमिक, जिसने व्यावसाय प्रोक्षण में अहर्ता प्राप्त करने के अनुभवित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को छान में रखते हुए किया जाना है।

प्रतिनिधित्विति:-
 कै-दीय सरकार (जिसके अन्तर्गत विभाग भी समर्पित है) के ऐसे अधिकारी:

(क) 3050-75-3950-80-4590 रुपये के बेतनमान में ऑफसेट मशीन परिचर के पद पर नियमित आधार पर सेवा की हो।

(प्रतिनिधित्विति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संसदीय विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले शारित किसी अन्य काडर पद पर ग्राति-नियुक्ति की अवधि है, साथान्तरण तोन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33.	सहायक नियंत्रक (नियंत्रण)।	छह (6) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' आवश्यकित, अनुसारिति किया जा सकता है।	4500-125-7000 रुपये।	बचत। लागू नहीं होता।	(पुलिस बल सहित सैनिक/अर्द्ध-सैनिक -सेवा नियुक्त कार्यक्रमों के लिए किए गए उपचारों के अनुसार)	(i) किसी मानवता प्राप्त विवाहालय या ज्ञानद्वे मौद्रिकत्वालय (दसवीं कक्षा) उत्तीर्ण। (ii) सेवा/अर्द्ध-सैनिक बल/पुलिसमें छह वर्ष तक 4000-6000 रुपये की श्रेणी में सेवा का अनुभव।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों	सीधे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा विवासके न होने पर प्रतिनियुक्त हो। के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्तिः— केन्द्रीय साकारा (विषयके अन्तर्गत विभाग भी सम्मिलित है) के ऐसे अधिकारीः (क) 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में ऐसा सैनिक/अर्द्ध-सैनिक पुलिस बल का व्यापत्ति जो छह वर्ष नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्टनि समिति जिसमें नियमितीकृत होगी:	1. भारत सरकार मुद्रणालय के प्रबन्धनात्मक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धनात्मक/कार्यालय का भारतसाथक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — सदस्य 4. मुद्रणालयों के कार्य का जानकार विभाग का ऐसा आधार सदस्य विविस्ता का मूल्यांकन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को आनंद में रखते हुए किया जाना है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
34. इतैक्षणिक दूसरीकेर्टिंग/ मर्शन प्रचालक/ रेसोग्राफर।	सोलह् (16) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (उच्च कुशल श्रेणी-II)	4000-100-6000 रुपये।	अवधान।	लागू नहीं होता।	अद्वाह से साराईस वर्ष के बीच (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी के उच्च आयु सीमा शिथल कर के ऐतिस वर्ष तक की जा सकती है। अनुसन्धित जातियों और अनुसन्धित जनजातियों की दशा में पांच वर्ष और शिथल की जा सकती है।)	किसी मानवता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रैद्योगिको में डिल्लोमा साथ हो दो वर्ष के अनुभव।	किसी मानवता प्राप्त संस्था में डिल्लोमा साथ हो दो वर्ष के अनुभव से अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) दिया:- अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी के विवेकानुपर अनुसन्धित जातियों या जनजातियों के अन्याधिकारी के मामलों में शिथल की जा सकती है (ई) जब चयन की किसी प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या संक्षम प्राधिकारी को एवं यह है कि उनके लिए अनुसन्धित रिक्तियों को भले के लिए अनुसन्धित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अन्याधिकारी के घण्टाल संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
शैक्षिक योग्यता-हृ आयु- नहीं।	सोधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	आमेलन द्वारा विस्तके न हो सकते पर में सोधे भर्ती द्वारा।	आमेलन:- ऐसा कम्पोजिट ब्रेणी-I, डार्क रूम सहायक, और कम्पोजिट ब्रेणी-II व्यवसाय जिसने व्यवसाय परिश्रम में अद्वितीय प्राप्त करने के अध्ययन रहे हुए, इसैक्सिनिक ड्यूटिकरिंग मशीन को प्रचलन के छह मास का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् आठ वर्ष को नियमित सेवा को है। के अन्य मुद्रणालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाता है।	समृद्ध 'ग' विचारीय प्रेनाटि समिति जिसमें निम्नरिचित सौंपी:	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35.	सिस्टक प्रिन्टर आपेटर।	3 (तीन) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)। अनुसुचिकर्ता।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति दुरशल) अराजपत्रित, जा सकता है)। अनुसुचिकर्ता।	4000-100-6000 रुपये।	बफन।	लागू नहीं होता।	(सीधी भर्ता द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी को उच्च आयु सीमा शिथल कर के ऐतिहासिक तरफ को जा सकती है। अनुसुचित जारीर्णों और अनुसुचित अनुजारियों की दस्ता में पांच वर्ष और शिथल की जा सकती है।)

टिप्पणः—आयु सीमा अवधारित करने के लिए

नियांचिक तारीख भारत में अधिकारी से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अनियम तारीख होगी। (न कि वह अनियम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांखल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, निम्बा, नियांचिकम, जम्मू कश्मीर राज्य के लियाँ छण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्मिति जिले तथा बन्द्रा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लालड्होप के अधिकारी के लिए विहित की गई है।)। रोजगार कार्यालयों के मालयम से को जाने वाली भर्ता/नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए नियांचिक तारीख वह अनियम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कारब गया है।

टिप्पणः—अनुभव संबंधी अहता (अहताये) संबंधी सेवा आयोग या कर्मचारी बयन आयोग या सक्षम प्राविकारी के लियेकानुसार अनुसुचित जारीर्णों या जनजारियों के अधिकारी के मामलों में शिथल की जा सकती है (हे) जब बयन की किसी प्रक्रिया में संबंधी सेवा आयोग/कर्मचारी बयन आयोग/सक्षम प्राविकारी की राय है कि उनके लिए आवश्यक प्रिक्टर्स को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अधिकारी के पर्याप्त संज्ञा में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विवाहमान आपरेटर के सिस्टम पर विस्तरके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, स्थानान्तरित या असेवित व्यक्तियों के लिए अन्य सीमा पर्याप्त नहीं है।	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(i) प्रचास प्रतिशत आमेलन द्वारा बिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा,</p> <p>(ii) प्रचास प्रतिशत ग्रेनटि द्वारा बिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>आमेलन:- ऐसे भ्रष्टालक और कम्पोजिट श्रेणी-I जिसने क्षमता देता है:</p> <p>का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, व्यवसायिक परीक्षण में अद्वितीय प्राप्त करने के अध्ययन रहते हुए, अठवायक कर्म की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रोन्टिंग:- टिप्पणी:- शिक्षकों को पहले उसी मुद्रणलय से अमेलन द्वारा भर्ता जाना है तत्पश्चात् भारत सरकर के अन्य मुद्रणलयों से स्थानान्तरित व्यक्तियों द्वारा भर्ता जाना है।</p>	<p>समूह 'ग' विवाहगीय ग्रेनटि समिति जिसमें निम्नलिखित होगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारत सरकार मुद्रणलय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष उपप्रबन्धक/कार्यालय का भारतसाधक — सदस्य सहयोगक (प्रशासन) — सदस्य <p>4. मुद्रणलयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य जिसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन अनुशृद्धित जातियों और अनुमूलिक जनजातियों के हितों को ज्ञान में रखते हुए, किया जाना है।</p>	<p>लागू नहीं रहता।</p>
विवाहमान आपरेटर के सिस्टम पर विस्तरके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, स्थानान्तरित या असेवित व्यक्तियों के लिए अन्य सीमा पर्याप्त नहीं है।	अन्य स्थानान्तरित या असेवित व्यक्तियों के लिए अन्य सीमा पर्याप्त नहीं है।	<p>(i) प्रचास प्रतिशत आमेलन द्वारा बिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा,</p> <p>(ii) प्रचास प्रतिशत ग्रेनटि द्वारा बिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>आमेलन:- ऐसे भ्रष्टालक और कम्पोजिट श्रेणी-I जिसने क्षमता देता है:</p> <p>का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर, व्यवसायिक परीक्षण में अद्वितीय प्राप्त करने के अध्ययन रहते हुए, अठवायक कर्म की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रोन्टिंग:- टिप्पणी:- शिक्षकों को पहले उसी मुद्रणलय से अमेलन द्वारा भर्ता जाना है तत्पश्चात् भारत सरकर के अन्य मुद्रणलयों से स्थानान्तरित व्यक्तियों द्वारा भर्ता जाना है।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:- के द्वारा अस्तकर (जिसके अस्तरात विभाग भी सम्मिलित है)</p> <p>(क) जिसने सिल्क स्क्रीन आपेटर के पद पर 4000-100-6000 रुपये के बेतनमान में नियमित सेवा की हो।</p>	<p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अस्तरात विभाग के दूसरी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारात नियुक्त किया जाए तो उस वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36.	संशोधक सिरक दिक्षा प्रबालक।	पात्र (5) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साथरण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल)	3050-75- 3950-80- 4590 रुपये।	अचयन। लागू नहीं होता। लागू नहीं होता।	(सीधी भर्ती होता नियुक्ति के लिए विधायीय अधिकारी को उच्च आयु सेवा शिखित कर के फैसलवर्षतक की जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दसा में पांच वर्ष और शिखित की जा सकती है।)	(i) किसी भान्ता प्राच विधालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसरी कक्षा) पास। (ii) किसी छात्रावास युद्धालय या संस्थान से सिस्टक खोन प्रिंटिंग में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणः—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यर्थी से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांची उपखण्ड, अंडमान एंवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अध्यर्थीयों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दस्ता में, आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

टिप्पणः—अनुभव संबंधी अहिता (अहिताये) संच लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानन्दसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अध्यर्थीयों के मामलोंमें शिखित की जा सकती है (है) जब स्थान की किसी प्रक्रिया में संबंध लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आवश्यक रिक्तमानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यर्थीयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विद्यमान आपरेटर के स्थितिएवं जिसके लिए कोई अधिकतम सीधी अपेक्षित नहीं है।	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी प्रतिशत आमेलन द्वारा दिया जाना है।	आमेलन:- ऐसा प्रूफ ऐस-मैन शेण-॥ और क्षिप्त सेवा वाला ऐसा कम्पोनेट प्रोग्राम-॥ जिसने व्यवसाय परीक्षण में अहला प्राप्त करने के अध्ययन रहते हुए, छह वर्ष की नियमित सेवा को है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोनाति समिति जिसमें निम्नलिखित होगी:	लागू नहीं होता।
स्थानान्तरित या असीलत व्यक्तियों के लिए अनुसंधान द्वारा भरा जाना है। स्थानान्तरण के अन्य मुदण्णालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।	स्थानान्तरण के अन्य मुदण्णालयों से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाना है।	आमेलन:-	1. भारत सरकार मुदण्णालय के महाप्रबन्धक प्रबन्धक 2. उपप्रबन्धक कायांलय का भारतसाधक — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) 4. मुदण्णालयों के कार्य का आनकार किसी विभाग का ऐसा बाह्य सदस्य विस्की उभयुक्ता का पूर्णांक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोनाति समिति जिसमें निम्नलिखित होगी:	महाप्रबन्धक प्रबन्धक — अध्यक्ष — सदस्य — सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) — महाप्रबन्धक प्रबन्धक — अध्यक्ष — अनुसूचित जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37. अधिक।	चार सौ छियानवे (496)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'च' (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	2550-55-2500-60-3200 रुपये।	अच्यन।	लागू नहीं होता।	अस्थापत्र से स्टाइल वर्ष के बीच (साथी भर्ती होगा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को उच्च आयु सीमा शिखित कर के पैरीस वर्ष तक को जा सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दशा में पाच वर्ष और शिखित को जा सकती है।)	किसी मानवता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से आठवाँ कक्ष उत्तीर्ण।

टिप्पणी:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए नियांपक तारीख भारत में अध्याधिकों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत को गई अन्तिम तारीख होती है। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, निगांगा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पाति जिले तथा चम्पा जिले का पांची उपखाड़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्मीनारायण के अध्याधिकों के लिए विहित को गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से को जने वाली भर्ती/नियुक्ति को दशा में, आयु सीमा अवधारित के लिए नियांपक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सोधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सोनी प्रतिशत आमंत्रन द्वारा जिसके न हो सकने पर सोनी भर्ती द्वारा।	सोनी प्रतिशत आमंत्रन द्वारा जिसके रोलर संचालान, प्रूफ ब्रेस बेन क्रेणो-II, मशीन परिचार (टैटर ऐंस) लोडर, लैन्डर, बहुउपयोगी उत्पादों के आमंत्रन पुद्धारालय से आमंत्रन द्वारा भरा जाना है तत्प्रथात् भारत सकार के अन्य पुद्धारालयों में स्थानान्तरण द्वारा क्षमा जाना है।	समृद्ध 'ग' विमानीय ब्रेन्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होती:	लागू नहीं होता।
				1. भारत सकार पुद्धारालय के महाप्रबन्धक/प्रबन्धक 2. उपप्रबन्धक/वर्गायलय का भारतसाधक — सदस्य 3. सदस्यप्रबन्धक प्रशासन) — सदस्य 4. पुद्धारालयों के कार्य का जानकार किसी विभाग का एसा कार्य सदस्य जिसकी उपयोगता का मूल्यांकन अनुमुक्त जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को व्यापार में रखने द्वारा किया जाना है।	
				[फाइल मरम्मा : 22/2/98 ए.आई. खण्ड-III] एच. ए. यादव निर्देशक, (मुद्रण)	

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 29th May, 2003

G.S.R. 218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and read with article 73 of the Constitution and in supersession of the Government of India Presses (Group 'C' and Group 'D' Industrial posts) Recruitment Rules, 1993, Government of India Presses and Branches Group 'C' Electronic Duplicating Machine Operator Recruitment Rules, 1996 and Government of India Press, Minto Road and Ring Road, New Delhi, Assistant Inspector (Control) and Assistant Inspector (Control) (Computing) Recruitment Rules 1979 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' Industrial posts in Government of India Presses or their Branches in the Directorate of Printing of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government of India Presses (Group 'C' and Group 'D' Industrial posts) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule:

Provided that where the Director of Printing is satisfied for reasons to be recorded in writing, he may by order, transfer an employee from one Press to any other Press under his control in the public interest or on the request of such employee on compassionate ground for re-deployment of surplus staff of the Press, subject to the following conditions namely:—

- (i) Where the transfer is ordered in the public interest, the service interests of the employee concerned shall not be adversely affected.
- (ii) Where the transfer is made on the request of the employee concerned on compassionate grounds, the individual concerned will not get the benefit of the service rendered by him in his own parent unit for the purpose of seniority in the unit in which he is transferred, and
- (iii) Where a surplus person is re-deployed, he shall be treated as fresh recruit for the purposes of seniority in the unit in which he is absorbed.

5. Disqualification.—No person—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Classification	Scale of pay	Whether Selection post added years of or non-selection service admissible past	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(7)	(8)					
1. Foreman.	Twelve (12)	General Central Service, Group 'C' (Supervisory)	Rs. 5000-150- 8000.	Non-Selection. Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised university or institution, with three years experience of working in reputed press/institutions.
					NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pang Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	
2. Foreman (Bindery).	Thirty seven (37)	General Central Service	Rs. 5000-150- 8000.	Non-Selection. Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised university or institution, with three years experience of working in reputed press or institutions.
					NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pang Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees:	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) By absorption (ii) By surplus employee on transfer from other Government of India Presses failing which by direct recruitment.	Absorption: Foreman (Lino), Foreman (Mono), Foreman (Case Room) Foreman (Machine) Foreman (Planning) having regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.
Not applicable	Two years for Direct Recruits.	By Promotion failing which by deputation, failing which by Direct Recruitment.	Promotion: Section Holder (Bindery)/Time Checker (Bindery) in the Pay Scale of Rs. 4500-125- 7000 with three years regular service in the grade failing which Section Holder (Bindery)/ Time Checker (Bindery) with combined regular service of eight years in that grade and in the grade of Binder.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Section Holder (Bindery)/ Time Checker (Bindery).	Ninety two (92)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 4500-125-7000.	Non-Selection.	Not applicable.	Diploma in Printing Technology from a recognised university or institution with three years working experience of Binding in a Press or institution engaged in printing and binding work of repute.
							<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lakshadweep).</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.

Not applicable.

4. Binder [Post of special grade (576) Binder merged with Binder]. Five hundred seventy six Service (576) Binder to change as per work load]. General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade II). Non-Gazetted, Non-Ministerial. Rs. 4000-100- Non-Selection. Not applicable. Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation.	Promotion : Assistant Binder in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

Scale of Rs. 4500-125-7000, on regular basis or

(b) Binders in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five year regular service in the grade.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Deputation :
Officers of the Central Government (including the department):

(a) holding analogous posts i.e. Binder in the Pay Scale of Rs. 40000-100-6000 on regular basis or

(b) Assistant Binders in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service subject to qualifying respective trade test for that trade.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Assistant Binder.	One thousand six hundred twenty three (1623)	General Central Service	Rs. 3050-75-350-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years.	<p>(i) Matriculation ('10th class) Pass from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprenticeship Act, 1961 (52 of 1961).</p> <p>OR</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	<p>(i) Hundred percent Absorption from the Presses failing which</p> <p>(ii) Fifty percent by promotion</p> <p>(iii) Five percent by absorption from Grade 'D' Non-Industrial</p> <p>(iv) Forty five percent by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p>(i) Regular Asstt. Binder, Mono Caster Operator, Compositor-II, Machine Asstt. (Letter Press), Copy Holder, Proof Press Man-I, Dark Room Asstt., Etcher, Machine Asstt. (Rotary), Stereo Typer, Mounter, Distributor, Cylinder Proof Pressman-I and Metal Melter to be absorbed on transfer after successful completion of training of three months and Trade Test, except for Assistant Binder where Press is under modernisation.</p> <p>(ii) Group 'D' employees of Non-industrial category with eight years regular service in the respective grades subject to qualifying the Trade Test. Such absorption shall be made, after obtaining specific willingness of the officials concerned in view of the change in the service conditions. Labourers shall not be considered for absorption to the post of Assistant Binder.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. <p>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</p> <p>Labourers in the Pay Scale of Rs. 2550-55-2600-60-3200 with eight years regular service in the grade subject to qualifying the Trade Test.</p>		Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Head Reader.	Thirteen (13)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 5000-150- Group 'C' (Super-visory). Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Non-Selection. Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
7. Reader [Post of Reviser has been merged with Reader and is redesignated as Reader.]	One hundred forty three (143)	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade I). Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100- 6000. Skilled Grade I).	Non-Selection. Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years.	(i) Graduation from a recognized University. (ii) Knowledge of Proof Reading Marks. (iii) Proficiency in English and Hindi Language and one Regional Language which is used in Presses.	(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable. By promotion failing which by deputation.	Promotion : Copy Editor in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with three years regular service in the grade failing which Copy Editor with combined regular service of eight years in the grade and in the grade of Reader failing both Reader with eight years.	Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Head Readers/Editors in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 on regular basis of (b) Copy Editors in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with three years regular service or (c) Copy Editors in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with combined regular service of eight years in the grade and in the grade of Reader in the Pay Scale of 4000-100-6000. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

Age-No.	Two years for Qualifications-Yes. Direct Recruits, which by deputation failing both by direct recruitment	By promotion failing	Promotion :	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:	Not applicable.
			(i) Fifty five percent of the vacancies shall be filled from the grade of Copy Holder in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade on the basis of seniority subject to their qualifying in the trade test called Readership Examination to be conducted by the Directorate of Printing.	1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<p>(ii) Forty five percent of the vacancies shall be filled on the basis of merit through Readership Examination to be conducted by the Directorate of Printing.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Reader in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 on regular basis.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>Age : No. Educational Qualifications : Yes.</p> <p>Hundred percent absorption from Presses failing which by</p> <p>(i) Ninety percent by direct recruitment.</p> <p>(ii) Ten percent by promotion.</p> <p>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</p>	<p>Absorption: Compositor grade-II from other Govt. of India Presses after successful training of six months and Trade Test.</p> <p>Promotion : Group 'D' Industrial employees in the Pay Scale of Rs. 2550-55-2600-60-3200 who are Matriculate or equivalent from recognised School/Board and who have put in five years regular service subject to qualifying in a Trade Test.</p> <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
g. Head Mechanic (Printing and Binding).	Twelve (12)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 4500-125	Non-Selection.	Not applicable.	Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	<p>Essential:</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>Desirable:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics Engineering from a recognised University or Institution. (ii) Three years experience of maintenance/repairing of Printing and Allied equipments in a Institution/Press of repute. <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	By Promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment.	Promotion: Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Mechanic (Printing and Binding).	Sixty three (63) Service (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Highly Skilled Grade I), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100- 6000.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies deserved for them.</p> <p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics Engineering from a recognised university or institution.</p> <p>(ii) Two years experience of maintenance/repairing of Printing and Allied equipments in a Institution or Press of repute.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pang Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>NOTE: The qualifications(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection process if the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by absorption from Government of India Presses failing which by promotion failing which by deputation	Absorption: Regular Mechanic (Mechanical Composing) after successful completion of six months training and Trade Test in repairing Offset, Binding and Allied equipment/machinery.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member.	Not applicable.

(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation

(ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.

Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.

- Promotion:**
- Assistant Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in that grade subject to qualifying in a Trade Test.
- Deputation:**
- Officers of the Central Government (including the department):
- (a) holding the posts of Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 on regular basis or
 - (b) Assistant Mechanic (Printing and Binding) in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying the prescribed Trade Test.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. Assistant Mechanic (Printing and Binding).	Sixty (60) (Subject to change as per work load).	General Central Service	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment).	(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics Engineering from a recognised university or institution. (ii) With one years experience of maintenance/repairing of Printing and Allied equipments in a Institution/Press of repute. (iii) Ability to read the name of spare parts of machines used in printing industry (other than linof mono type and casting machines) including lathe and other machine workshop and of servicing and maintenance of offset and other machines.

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange requested to furnish nominations.

NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Direct Recruitment failing which by absorption.	Absorption: Absorption from Assistant Mechanic (Mechanical Composing) from Government of India Presses after completion of six month training and successfull Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
12. Electrician.	Twenty six (26)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 4000-100- 6000. Group 'C' (Highly Skilled Grade II), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>(i) Diploma in Electrical or Electronics from a recognised Institution from a recognised University or institution.</p> <p>(ii) Electrical Supervisory Certificate of competency.</p> <p>(iii) Two years experience of running/ maintenance of different types of both high tension and low tension electrical installation including underground cable system.</p> <p>(iv) Knowledge of maintenance of electrical installation.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Authority or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
13. Wireman.	Eight (8)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 3050-75- 3950-80-4590. Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>(i) Diploma in Electrical or Electronics from a recognised University or institutions.</p> <p>(ii) Electrical workman's permit.</p> <p>(iii) Workman's competency certificate or Electrical workman licences (Certificate of competency class II) or any other equivalent certificate and one years experience in the line.</p>

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation. (ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.	Promotion: Wireman in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test. Deputation: Officers of the Central Government (including the department) holding:- (a) the post of Electrician in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with regular service or (b) Wireman in the Pay Scale of 3050-75-3950-80-4590 with five years regular service in the grade subject to qualifying in the Trade Test. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Not applicable.
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Twenty five per cent by promotion failing which by deputation. (ii) Seventy five per cent by direct recruitment failing which by promotion.	Promotion: Electrical Khalasi in the Pay Scale or Rs. 2550-55-2600-60-3200 with Eight years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
14. Electrical Khalasi.	Six (6) (Subject to change as per work load).	General Central Service	Rs. 2550-55- 2600-60-3200. Group 'D' (Unskilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Selection.	Not applicable.	<p>Matriculation (10th Class) pass from recognised School or Board</p> <p>(i) Should have at least two years experience in electric/electronic line.</p> <p>(ii) Certificate from recognise Industrial Training Institute.</p> <p>(iii) The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation :					
	Officers of the Central Government (including the department);				
	(a) holding the post of Wireman in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80- 90 90 with regular service.				
	(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).				
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred per cent by Direct Recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:	Not applicable.
				1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman	
				2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member	
				3. Assistant Manager (Administration)—Member.	
				4. Outside Member who is familiar with the work of press.	
				Note: Relevant instructions in this regard issued by Department of Personnel Training and Directorate of Printing be followed strictly.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15. Welder.	Four (4) (Subject to change as per work load).	General Central Service	Rs. 3050-75- 3950-80-4590.	Selection. (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.)	<p>(i) Matriculation (10th class) pass from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Certificate from Industrial Training Institute in Welding Trade</p> <p>(iii) Three years experience of the trade.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Two years for Direct Recruits.	Two hundred percent by direct recruitment failing which deputation.	Deputation : Officers of the Central Government (including the department). (a) holding the post of Welder in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service. (Period of deputation including period of depu- tation in another ex-cadre post held immedi- ately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Carpenter.	Twelve(12)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 3050-75-3950-80-4590. Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).
						<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date</p> <p>Matriculation (10th Class) Pass from recognised School or Board.</p> <p>Certificate from Industrial Training Institute.</p> <p>Three years experience in the trade.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Matriculation (10th Class) pass from recognised School or Board.</p> <p>Experience of driving motor vehicle for five years.</p> <p>Should possess requisite valid driving licence for Heavy Motor Vehicles.</p> <p>Knowledge of Auto Mobile.</p>
17. Truck Driver	Five (5)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 3050-75-3950-80-4590. Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred per cent direct recruitment failing which by deputation.	Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Carpenter in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable.
				Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18. Truck Driver (Light Vehicle).	Fifteen (15)	General Central (Subject to change as per work load).	Rs. 3050-75- 3950-80-4590.	Non-Selection. Group C: (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Not applicable.	<p>prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jamuan and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them</p>	<p>(i) Matriculation (10th Class) Pass from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Experience of driving motor vehicle for five years.</p> <p>(iii) Should possess requisite valid driving licence for Light Motor Vehicles.</p> <p>(iv) Knowledge Auto Mobile.</p>

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Promotion failing which by deputation, failing which, by direct recruitment	Promotion : Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650- 65-33-70-4000 with four years regular service failing which Auto Truck Driver with combined service of six years in that grade and in the grade of cleaner driver subject to passing at a trade test. Possessing Driving Licence for Heavy Vehicles is essential.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(b) Auto Druck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-33-70-4000 with four years regular service subject to passing in the Trade Test.

Possessing Driving Licence for Heavy Vehicle is essential.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Deputation:

Officers of the Central Government (including the department) holding:-

(a) the post of Truck Driver (Heavy Vehicle/Light Vehicle) in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service or

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. Auto Truck Driver.	Twenty (20) change as per work load).	General Central Service Group 'D'	Rs. 2650-65-3300-70-4000.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>Number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
						<p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	(b) Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-3300-70-4000 with four years regular service in the grade subject to passing in a Trade Test. Possessing Driving Licence for Heavy Vehicles is essential. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	(b) Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2610-60- 3150-65-3540 with two years regular service in the grade of Labourer with five years regular service in the grade subject to passing at a Trade Test. Possessing Driving Licence is essential. Deputation: Officers of the Central Government (including the department) holding:- (a) the post of Auto Truck Driver in the Pay Scale of Rs. 2650-65-3300-70-4000 with regular service. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20. Cleaner Driver.	Three(3) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'D' (Semi-Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60- 3150-70-3540.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>(i) Matriculation (10th Class) pass from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Experience of three years in similar capacity.</p> <p>(iii) Should possess requisite Driving Licence for Motor Vehicles.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
						Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>(i) Degree in Fine/Commercial Arts/Graphic Design with Two years experience in Commercial Designing, Graphic Designing and Layout making.</p> <p>OR</p> <p>(ii) Diploma in Fine/Commercial Arts with 3 years experience in Commercial Designing, Graphic Designing, Layout making.</p> <p>AND</p> <p>(i) Qualifying Trade Test.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of:	
				1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	

Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation.	Promotion: Junior Artist in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the respective grades subject to qualifying in a Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of:
		(ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.	Deputation: Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Senior Artist in the Pay Scale of 5500-175-9000 with regular service or	1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	Junior Artist.	Eighteen(18) General Central (Subject to Service change as per work load).	Rs. 5000-150-8000. Group 'C' (Master craftsman), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>(ii) Working knowledge of English and Hindi or atleast one of the regional languages in which work is being done in the Press.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>(i) Degree in Fine/Commercial Arts or Graphic Designing and experience of one years in Commercial/Graphic Designing. OR (ii) Diploma in Fine/Commercial Arts or Graphic Designing with two years experience in Commercial/Graphic Designing and Layout making AND (ii) Qualifying Trade test.</p> <p>NOTE : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by direct recruitment failing which by deputation.	Deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Junior Artist in the Pay Scale of 5000-150-8000 with regular service. (Period of deputation including period of depu- tation in another ex-cadre post held immedi- ately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	

(b) Junior Artist in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the grade.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23. Artist Retoucher.	Thirty one (31)	General Central Service (Subject to change as per work load).	Rs. 5500-175- 9000. Group 'C' (Technical Supervisor), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Selection. 9000.	Not applicable.	<p>and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Selection Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>(i) Degree in Printing Technology from a recognised university or institution with two years experience</p> <p>OR</p> <p>(ii) Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised Institute of Printing and three years experience in scanning, Planning & Retouching in a offset establishments of repute.</p> <p>NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Selection Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion. (ii) Fifty percent by promotion failing which by deputation.	Promotion: Assistant Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the grade subject to qualifying in a trade test. Deputation : Officers of the Central Government (including the department):	Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	(a) holding the post of Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5500-175-9000 with regular service or (b) Assistant Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with five years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test. (Period of deputation including period of depu- tation in another ex-cadre post held immedi- ately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24. Assistant Artist Retoucher.	Forty two (42)	General Central Service Group 'C'	Rs. 5000-150-8000.	Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It is further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Degree in Printing Technology from a recognised university or institution with one years experience OR (ii) Diploma in Printing Technology (Offset) or equivalent from a recognised Institute of Printing and two years experience in scanning and Retouching in a photolitho establishments of repute.

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.

NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct recruits.	Hundred percent by direct recruitment failing which by deputation. (a) holding the post of Assistant Artist Retoucher in the Pay Scale of Rs. 5000-150-8000 with regular service. (Period of deputation including period of depu- tation in another ex-cadre post held immedi- ately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Deputation : Officers of the Central Government (including the department): 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Group "C": Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25. Cameraman.	Twenty nine (29)	General Central Service (Subject to change as per work load)	Rs. 4500-125- Group 'C' (Highly Skilled Grade-II), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Non-Selection. Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised institution. (ii) Three years experience in operation of Process Camera.	
					NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	(i) Diploma in Printing Technology from a recognised institution. (ii) Two years experience in operation of Process Camera. NOTE: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Comptent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Comptent Authority presribed for those in Assam.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	(i) Fifty percent by Promotion failing which by direct recruitment. (ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by deputation.	Promotion: Dark Room Assistant in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade or Offset Plate Maker with five years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test. Deputation: Officers of the Central Government (including the department): (a) holding the post of Camerman in the Pay Scale of Rs. 4500-125-7000 with regular service or (b) Offset Plate Maker or Dark Room Assistant in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	Absorption: Reader, Compositor Grade-I subject to completion of six months of successful training and qualifying Trade Test.	Hundred percent by absorption from other Presses failing which by direct recruitment. Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27. Offset Plate Maker.	Seventy seven (77) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C'	Rs. 4000-100- 6000.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>(i) Matriculation (10th class) or equivalent from recognised School/Board preference being given to candidates who have passed with Chemistry.</p> <p>(ii) Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised Institute of Printing Technology.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years Hundred percent by absorption failing which by	Absorption: Xerox Operator, Compositor Grade-I, Letter Press Machineman after completion of six months of successfull training and qualifying Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member.	Promotion: Assistant Plate Maker in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test.	Not applicable. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28. Ass'tt. Plate Maker (Officer).	Twenty four (24)	General Central Service	Rs. 3050-75- 3950-80-4590.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	<p>Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>(i) Matriculation or equivalent, with Physics and Chemistry as subject from recognised School or Board.</p> <p>(ii) Certificate from Industrial Training Institute in Plate Making trade with three years experience.</p>
						<p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>	<p>OR</p> <p>A certificate of successful completion of Apprenticeship under Apprenticeship Act 1961 in the trade of Plate Making with five years of Working experience in Offset Press of repute.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Compositor Grade. II, Distributor, Machine Ass'tt. (Letter Press), Mono Caster Operator, Cylinder Press Proof Man, Press Proof Man Grade-I subject to six months of successful training and qualifying Trade Test.	Group 'C' Departmental Promotion Not applicable. Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— Member 3. Assistant Manager (Administration)— Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29. Desk Top Publishing Operator	Two hundred eighteen (218)	General Central Service (Subject to change as Operator/ Key Board Operator will be known as Desk Top Publishing Operator in future.	Rs. 4500-125- 7000. Group 'C' (Master Craftsman), Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Diploma in Printing Technology with three years experience of Operating Computer. (ii) Typing experience in Hindi and English language.
30. Offset Machineman.	Two hundred sixty seven (267)	General Central Service (Subject to change as Operator per work load).	Rs. 4500-125- 7000. Group 'C' (Master Craftsman), Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Diploma in Printing Technology (Offset) from a recognised institution. (ii) Five years working experience on Offset Machine doing single and multi colour work NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Technical Assistant (Varitype) or Lino Operators, Mono Operators, Readers and Compositor Grade-I with five years regular service in the grade with six months of successful training in Desk Top Publishing (DTP) operation and qualifying Trade Test. <i>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</i>	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent absorption failing which by direct recruitment.	Absorption : Section Holder (Machine) or Machineman of Letter Press, Machineman (Rotary), Time Checker (Machine) with five years regular service in that grade and with six months successful training in operation of offset printing machine subject to qualifying Trade Test. <i>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</i>	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. Offset Machine Assistant.	Two hundred fifty five (255)	General Central Service (Subject to change as per work, Non-Gazetted, load).	Rs. 4000-100- 6000. Group 'C' (Highly Skilled Grade I), Non-Ministerial.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>(Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			subject to qualifying Trade Test failing which both Offset Machine Attendant with thirteen years regular service in the grade subject to qualifying Trade Test.		

Deputation :

Offset Machineman of other Government of India Presses failing which Offset Machine Asstt. with seven years regular service in the grade from other Govt. of India Presses subject to qualifying in a trade test (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years).

Promotion :

Hundred percent by absorption failing which by

- Promotion failing which by deputation.
- Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.

Absorption:

Letter Press Machine Assistant with eight years regular service in that grade after successfully undergoing training for six months in the operation of Offset Printing Machine subject to qualifying Trade Test.

Deputation :

Officers of the Central Government (including the Department):

- holding the post of Offset Machine Assistant in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with regular service subject to qualifying in a Trade Test.
- Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.

Two years for or absorption upto forty five years Direct Recruits. except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32. Offset Machine Attendant.	Three hundred twenty nine (329)	General Central Service	Rs. 3050/-75-3950-80-4590.	Group 'C' (Skilled) (Subject to change as per work load).	Non-Selection.	Not applicable.	<p>(i) Matriculation or equivalent from recognised School or Board.</p> <p>(ii) A certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the trade of Offset Printing Plate Making.</p> <p>(iii) Three years of working experience on Offset Machine in Press of repute.</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	<p>(i) Hundred percent by absorption failing which by</p> <p>(a) Fifty percent by Promotion failing which by deputation.</p> <p>(b) Fifty percent by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p>Absorption :</p> <p>Mono Caster Operator, Metal Melter, Press Proof Man Grade I, Cylinder Proof Press Man, Compositor Grade II, Distributor Machineman Grade II (Letter Press), Machine Asstt. (Letter Press) Stereo Typer and Machine Attendant (Letter Press) with six years regular service in that grade after successful completion of training on offset technology for six months.</p> <p>Promotion :</p> <p>Labourer in the Pay Scale of Rs. 2550-55-2600-60-3200 with eight years regular service in the grade subject to qualifying in a Trade Test.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. <p>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Offset Machine Attendant in the Pay Scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with regular service.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33. Assistant Inspector (Control).	Six (6) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C'	Rs. 4500-125- 7000.	Selection.	Applicable.	Not applicable (As per the provisions made for Retired personnel of Military/Para military including police force)	1. Matriculation (10th Class, Pass from recognised School/Board 2. Experience of serving in Military/ Para military force/Police in the grade of Rs. 4000-100-6000 of six years
34. Electronic Duplicating Machine Operator/ Resographer.	(Subject to change as per work load).	Sixteen (16) General Central Service	Rs. 4000-100- 6000.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	Diploma in Printing Technology from a recognised institution with two years experience. NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.

(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent Direct Recruitment failing which by deputation.	By deputation : Officers of the Central Government (including the department): (a) holding a post in Military/Para Military/Police Force personnel working in the grade of Rs. 4000-100-6000 with regular service of six years.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.
Educational Qualification: Yes.	Two years for Direct Recruitment.	By absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: Compositor-I, Dark Room Assistant, and Compositor grade-II with eight years regular service in the grade after successful completion of six months training in the operation of Electronic Duplicating Machine and qualifying Trade Test. Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35. Silk Screen Operator.	Three (3) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C'	Rs. 4000-100-6000.	Non-Selection.	Not applicable.	<p>Between eighteen and twenty seven years.</p> <p>Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).</p> <p>NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.</p> <p>NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required in those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	<p>1. Fifty percent by Absorption failing which by direct recruitment</p> <p>2. Fifty percent by promotion failing which by deputation.</p>	<p>Metal Melter with eight years regular service and Compositor Grade-I after successful completion of six months training subject to qualifying Trade Test.</p> <p>Promotion:</p> <p><i>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</i></p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Not applicable.</p> <p>Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge—Member 3. Assistant Manager (Administration)—Member. <p>4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government (including the department):</p> <p>(a) holding the post of Silk Screen Operator in the Pay Scale of Rs. 4000-100-6000 with regular service.</p>	(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36. Assistant Silk Screen Operator.	Five (5) (Subject to change as per work load).	General Central Service Group 'C' (Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75- 3950-80-4590.	Non-Selection. Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years. (Upper age limit relaxable for departmental candidates upto thirty five years for appointment by direct recruitment. It further relaxable for five years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).	(i) Matriculation (10th Class) Pass from Recognised School/Board. (ii) Having three years experience in Silk Screen printing process from reputed press/institution. NOTE : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority in of the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. The crucial date for determining the age limit in the case of recruitment through Employment Exchange is the last date by which Employment Exchange is requested to furnish nominations.	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age for transferee or absorption upto forty five years except in the case of existing operators for whom no upper age limit is required. In those Presses where transferees upto forty five years are not available, the age limit may be relaxed upto fifty years.	Two years for Direct Recruits.	(i) Hundred percent by absorption failing which by direct Recruitment.	Absorption: Proof Press Man grade - II with six years of regular service and Compositor Grade-II with regular service, subject to qualifying in a Trade Test successfully.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37. Labourer.	Four hundred ninety six (496) (Subject to change as per work load).	General Central Service, Group 'D' (Un-Skilled Grade I) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55- 2600-60-3200.	Non-Selection.	Not applicable.	Between eighteen and twenty seven years.	8th Class Pass from a recognised School or Board.

NOTE: The crucial date for

determining the age limit shall be
the closing date for receipt of
applications from candidates in
India (and not the closing date
prescribed for those in Assam,
Meghalaya, Arunachal Pradesh,
Mizoram, Manipur, Nagaland,
Tripura, Sikkim, Ladakh Division of
Jammu and Kashmir State, Lahaul
and Spiti District and Pangti Sub-
Division of Chamba District of
Himachal Pradesh, Andaman and
Nicobar Islands or Lakshadweep).

The crucial date for determining the
age limit in the case of recruitment
through Employment Exchange is
the last date by which Employment
Exchange is requested to furnish
nominations.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for Direct Recruits.	Hundred percent by absorption failing which by direct recruitment.	Absorption: From Roller Moulder, Proof Press Man Grade-II, Machine Attendant (Letter Press), Black Smith, Welder, Carpenter, Electrical <i>Note: The vacancy is to be filled up by absorption from same Press first then by transfer from other Government of India Presses.</i>	Group 'C' Departmental Promotion' Not applicable. Committee consisting of: 1. General Manager/Manager of Government of India Press—Chairman 2. Deputy Manager/Office-in-Charge— <i>Member</i> 3. Assistant Manager (Administration)— <i>Member</i> . 4. Outside member from a Department familiar with the work of the persons whose suitability is to be assessed to look into the interest of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	

[File No. 22/2/98-AI (Vol. III)]
H. A. YADAV
Director (Printing)